जिला योजना निर्देशिका

•

1983-84

शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश
लखनऊ

जिला योजना

निर्देशिका

1983-84

शिक्षा निदेशालय

उत्तर प्रदेश

NIEPA DC
D00612

Unit,
cational
tion
lhi-110016
DOC D-612
Date 19/1/83

प्रा क्क थ न

जिला योजना का यह दूसरा वर्ष है और इस समय जनपदों में 83-84 की जिला योजनाएं निर्माणाधीन हैं । अत: "जिला योजना निर्देशिका" की संरचना और उसके समय से प्रेषण की आवश्यकता स्वत: स्पष्ट है । यों तो वार्षिक योजना के निर्माण हेतु विभागीय निर्देशों के प्रेषण की अनिवार्यता तो हमारे समक्ष थी ही, तथापि उसे चक्रांकित पुस्तिका के परिधान में सज्जित कर सुलभ करना और अधिक युक्तिसंगत और अवसरानुकूल है । निदेशालय के नियोजन अनुभाग ने इस पुस्तिका में जनपदीय शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर उपयोगी सामग्री कहीं संकलित और कहीं निर्मित कर प्रस्तुत की है । इसके कुछ अंशों को मण्डलीय अधिकारियों की बैठकों, विभागीय परिपत्रों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की एतदर्थ आयोजित बैठकों में समय-समय पर उपलब्ध कराया जा चुका है । कुछ सामग्री नवीन भी है, विशेष रूप से प्रस्तावना में शैक्षिक नियोजन के विभिन्न पक्षों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है । कुछ आवर्तक परियोजनाओं के बचनवद्ध व्यय का समावेश करना तत्काल ही संभव हो पाता, तो पुस्तिका की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती, तथापि मुझे आशा है कि प्रदत्त मानकों के आधार पर चालू कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिये आगामी वर्ष के अनुमानित व्यय का आगणन जनपदीय शैक्षिक अधिकारी स्वयं भी कर सकने में समर्थ होंगे ।

2- मुझे विश्वास है कि जनपदीय शैक्षिक अधिकारी इस पुस्तिका की सामग्री से समुचित लाभ उठा सकेंगे और वर्ष 83-84 की जिला योजना की संरचना सफलतापूर्वक कर सकेंगे ।

पृथ्वी राज चौहान
शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश

विषय -- सूची

	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	शैक्षिक नियोजन - प्रस्तावना	1 - 8
2-	नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के शासन के आदेशों के उद्धरण	9 - 11
3-	जिला योजनाओं का वर्गीकरण	12 - 14
4-	विभिन्न जिला योजनाओं हेतु निर्धारित मानक	15 - 34
5-	वार्षिक योजना का निर्माण	35 - 37
6-	नई मांगों के प्रस्ताव	38 - 41
7-	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा	42 - 44
8-	विशेष सम्पन्क्त योजना - स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	45 - 48
9-	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के सघनित कार्यक्रम हेतु चयनित विकास खण्ड	49 - 53
10-	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां	54
11-	उत्तर प्रदेश में विमुक्त जातियां	55 - 57
12-	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जातिवार, जिलेवार एवं विकास खण्डवार जनसंख्या	58 - 59
13-	राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना	60 - 62
14-	जिला योजना संरचना वर्ष 83-84 हेतु जारी शासनादेश	63 - 66
15-	भवनों को संशोधित दों सम्बन्धी शासनादेश	67-68

- शैक्षिक नियोजन - प्रस्तावना

शैक्षिक नियोजन का अभिप्राय मुख्यत: भावी कार्यक्रमों हेतु उपयुक्त निर्णय लिये जाने से होता है जो प्रदेश के सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग के संदर्भ में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक होते है । इस हेतु स्पष्टत: नियोजन में तीन प्रक्रियाएं आवश्यक है :-

1- शैक्षिक विकास के लिये नीति निर्धारण ;

2- परियोजनाओं का निर्माण और

3- परियोजनाओं का कार्यान्वयन ।

नीति निर्धारण मुख्यत: शासन स्तर का दायित्व रहता है । परियोजनाओं का निर्माण तकनीकी विशेषता की अपेक्षा रखता है और परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रशासनिक व्यवस्था पर अवलम्बित रहता है । ये तीनों ही कार्य स्वतन्त्र न होकर एक दूसरे पर आधारित रहते हैं । नियोजन विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की अपेक्षा भी रखता है । यह मात्र शैक्षिक आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है वरन् इसके अन्तर्गत एक "मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम" भी निहित है । अत: शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से, सबसे पहले कार्य की विभिन्न नीतियों को "प्लान आफ एक्शन" में परिवर्तित किया जाना होता है और उसके लिये उपयुक्त समयावधि भी दृष्टि में रखी जाती है ।

वर्तमान में नियोजन प्रक्रिया के लिए जिस पूर्व तैयारी की आवश्यकता है उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जैसे उपयुक्त शैक्षिक आंकड़ों का आधार, वर्तमान शैक्षिक स्थिति की समीक्षा, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यक्रमों की प्रस्तावना । वस्तुत: नियोजन का बहुधा यह अभिप्राय लिया जाता है कि जो परिव्यय आवंटित किया गया है उसे विभिन्न परियोजनाओं में विभाजित कर दिया जाय । इस प्रकार योजना निर्माण में मुख्य रूप से आर्थिक व्यय का ही उल्लेख रहता है । अत: योजना निर्माण में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय :

1- परियोजनाओं की वैज्ञानिक ढंग से संरचना ।

2- उनके कार्यान्वयन में वैज्ञानिक तथा आधुनिक विधियों का अधिकाधिक प्रयोग ।

3- शुद्ध, विश्वसनीय व सुसंगत आंकड़ो/सूचनाओं का संकलन ।

4- परियोजनाओं के बारे में निरन्तर अनुवर्ती (फीडबैक) सामग्री की प्राप्ति ।

5- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था ।

वस्तुत: बिना पूर्व निर्धारित रूपरेखा के अनुसार सूचना और आंकड़ों को एकत्र करके एवं उनका उपयोग करके परियोजना की संरचना की बात सोची ही नहीं जा सकती। अत: वर्तमान में शिक्षा सांख्यिकी के एकत्रीकरण में जो विलम्ब हो रहा है उस प्रक्रिया में सुधार लाकर अपनी नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्य नीतियों के संदर्भ में हमें जिन आंकड़ों/सूचना की आवश्यकता है उसका संकलन समय से करना है। जिन आंकड़ों की प्रमुख आवश्यकता होती है, वे निम्नवत् हैं :-

1- विभिन्न स्तरों पर विभिन्न आयुवर्गों के बालक-बालिकाओं की संख्या (अनुसूचित जाति जनजाति की सूचना सहित)।

2- आगामी कुछ वर्षों के लिये जनसंख्या का अनुमान (प्रोजेक्शन्स)।

3- असेवित क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचना, स्कूलों के स्थान चयन हेतु वरीयताएं।

4- शिक्षण संस्थाओं की संख्या, उनके प्रकार, प्रबन्धवार, लिंगवार, पाठ्यक्रम के अनुसार, क्षेत्रवार, एक अध्यापकीय, बहु-अध्यापकीय विद्यालय, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के

5- विभिन्न स्तरों की छात्रसंख्या - स्कूल, कक्षावार, विषयवार, लिंगवार, क्षेत्रवार, उन उपस्थिति, ह्रास एवं अवरोध।

6- अध्यापक-आयु, लिंग, वेतनक्रम, योग्यता स्तरवार, सृजित पदों एवं कार्यरत अध्यापकों की संख्या।

7- अध्यापक आवश्यकताओं के प्रोजेक्शन्स।

8- भवन, उनके प्रकार, स्वामित्व, कक्षा-कक्षों की संख्या, वर्तमान स्थिति, पेयजल, खेल आदि की स्थिति।

9- साज-सज्जा, भौतिक सुविधाएं, फर्नीचर, श्रव्य-दृश्य सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आदि उनकी कमी अथवा पर्याप्तता।

10- शिक्षणेतर कर्मचारी - तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्याएवं स्थिति। निवर्ग की संख्या एवं स्थिति।

11- परीक्षा - परीक्षार्थियों की संख्या, विषयवार, लिंगवार, क्षेत्रवार, परीक्षा परिणा

12- आय-व्ययक की सूचना - स्कूलवार, परियोजनावार, आवर्तक-अनावर्तक, पूंजीगत आदि मदों के अन्तर्गत।

इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाओं की भी समय-समय पर तदर्थ आधार पर आवश्यकता होती है।

शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से जिन विकास कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा सकता है, वे निम्नवत् हैं:-

(क) शैक्षिक सुविधाओं के कार्यक्रमों का विकास

(i) नये स्कूलों की स्थापना ।

(2) वर्तमान स्कूलों का उच्चीकरण ।

(3) अनौपचारिक केन्द्रों का प्राविधान ।

(4) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का प्राविधान ।

(ख) भवन निर्माण

(1) नये भवनों का निर्माण ।

(2) वर्तमान विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण ।

(ग) शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी

(1) वर्तमान स्कूलों में अतिरिक्त स्टाफ ।

(2) नये विद्यालयों एवं अनुभागों के लिए स्टाफ ।

(घ) विद्यालयों को दी जाने वाली सुविधाएं

(1) विज्ञान विषयों का समावेश और उसके शिक्षण में सुधार ।

(2) पुस्तकालयों का विकास ।

(3) पठन-पाठन सामग्री का प्राविधान ।

(4) फर्नीचर एवं साज - सज्जा की आपूर्ति ।

(5) खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का विकास ।

(ङ) छात्रों को प्रोत्साहन

(1) छात्रवृत्ति

(2) बुक बैंक

(3) नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें

(4) स्कूल यूनीफार्म

अब शैक्षिक विकास-कार्यक्रमों हेतु वर्तमान में विभिन्न परियोजनाएं संचालित हैं जिन्हें चालू योजनाएं ([illegible]) कहा जाता है । इन परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी आवश्यक होती है जिससे कि उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन होता रहे और उनके चलते रहने अथवा उनके स्वरूप में संशोधन करने आदि [illegible] पर निर्णय लिया जा सके । यह विशेष रूप से देखा जाना चाहिए कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति इन परियोजनाओं से हो रही है या नहीं ।

निर्धारित उद्देश्यों एवं नीतियों के सन्दर्भ में यह आवश्यक हो सकता है कि शैक्षिक विकास-कार्यक्रमों को नई दिशा और विशिष्ट [illegible] गति दी जाय । इसके लिये नई परियोजनाओं की संकल्पना और उनके कार्यान्वयन की रणनीति निर्धारित करनी होती है ।

नियोजन-प्रक्रिया अभी तक उच्चतम स्तर से आरम्भ होती रही है और यही शैक्षिक नियोजन की भी स्थिति रही है । अब न केवल हमारी यह आवश्यकता ही है वरन् अनुभव भी यही सीख दे रहा है कि नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण क्रमशः जनपद, विकास-खण्ड और संस्था स्तर तक पहुँच सके । जिला योजना इसी विकेन्द्रीकरण की पहली कड़ी है । " विकेन्द्रीकरण ही वह प्रणाली है जिससे प्रत्येक जिला अपनी परिस्थितियों और विकास की सम्भावनाओं के अनुकूल स्थानीय संसाधनों एवं क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग स्वयं अपने विवेकानुसार कर सकने में सक्षम है । "

" जिला ही वह निम्नतम प्रदेश की इकाई है जहाँ अधिकांश विभागों के उत्तरदायी पदाधिकारी उपलब्ध हैं जिन्हें थोड़े प्रशिक्षण की सहायता से जिला स्तरीय योजना बनाने के काम में लगाया जा सकता है और जिले की एकीकृत एवं समन्वित योजना तैयार की जा सकती है । इस प्रकार की योजनाओं में एक विभाग और दूसरे विभाग में सामन्जस्य बना रहेगा, विभिन्न क्रिया कलापों में पूर्वापर चुनाव किया जा सकेगा और सार्थक कार्यक्रम निष्पादित किये जा सकेंगे । "

शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थिक योजना -निर्माण के लिए विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को गति देने हेतु संस्थागत नियोजन की बड़ी आवश्यकता है । प्रत्येक विद्यालय के लिये एक निश्चित समयावधि की विकास-सारणी तैयार की जानी चाहिए और प्रत्येक वर्ष क्रमशः विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से उन्हें उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहिए । जिला-योजनाओं को इस हेतु एक सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है ।

ऊपर परियोजनाओं की समीक्षा एवं मूल्यांकन की संक्षिप्त चर्चा भी की जा चुकी है । इस विषय में योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एक समय बद्ध कार्यक्रम (समय-सारणी) निश्चित कर लेना सदैव सुविधाजनक होता है । उदाहरण के लिए प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण आज शैक्षिक विकास की प्रथम वरीयता है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो परियोजनाएं संचालित है, उनकी समय सारणी निम्नांकित रूप रेखा पर आधारित की जा सकती है :

जनपद :

पृष्ठभूमि :- संविधान के अनुच्छेद- 45 में निविष्ट निदेशक तत्व की पूर्ति हेतु राज्य को 6-11 एवं 11-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी है । इस समय वय वर्ग 6-11 एवं 11-14 के स्कूल जाने वालों का प्रतिशत क्रमश: --- एवं ---- है । वर्ष 1984-85 में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस प्रतिशत को क्रमश: ----और-----तक पहुंचाने का लक्ष्य है ।

उद्देश्य :- इस समय 6-11 वय वर्ग में ----------लाख और 11-14 के ---- लाख बालक/बालिकायें है । वर्ष 1983-84 में इस संख्या को क्रमश: ---- लाख और ------ लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य है । दूसरे शब्दों में 6-11 में ---- हजार और 11-14 वयवर्ग में ---- हजार अतिरिक्त बालक/बालिकाओं को प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में और प्रविष्ट करना है । इनमें से वयवर्ग 6-11 में ----तथा 11-14 में ---- हजार बालक/बालिकायें वर्तमान स्कूलों में और ---- हजार तथा ----हजार नये खोले जाने वाले स्कूलों में प्रविष्ट होंगे ।

कार्यक्रम : उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हमारे कार्यक्रम के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् होंगे:-

1- नये प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना ।
2- स्कूलों की पर्यावरणीय व्यवस्था में सुधार लाना । इसके अन्तर्गत प्रमुख कार्य स्कूल भवनों का निर्माण और साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री का वितरण है ।
3- प्रोत्साहन परियोजनायें : नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, बुक बैंक, पोशाक, छात्रवृत्तियां ।

कार्यक्रम के विस्तृत वितरण : -

वर्ष 83-84 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नांकित भौतिक लक्ष्य निर्धारित है :-

1- (क) नये प्राइमरी स्कूल — ग्रामीण क्षेत्र ——
नगर क्षेत्र ——

(ख) नये जूनियर हाईस्कूल — ग्राम ीण क्षेत्र ——

2- (क) भवनहीन विद्यालयों के लिए भवन — प्राइमरी स्कूल भवन ——
जूनियर हाईस्कूल भवन ——

(ख) उपर्युक्त (1) के (क) और (ख) के अन्तर्गत भी स्कूल भवन सहित खुलेंगे ।

अत: प्राइमरी स्कूल भवन —— और जूनियर हाईस्कूल भवन - - - -

(2) (क) के अतिरिक्त और निर्मित होंगे ।

(ग) शिक्षण सामग्री-स्कूलों को दी जाने वाली संख्या

(आयोजनागत) प्राइमरी : ——

साज-सज्जा :
(आयोजनागत) जूनियर हाईस्कूल ——

(घ) टाटपट्टी (आयोजनेत्तर)

प्राइमरी ——

मिडिल ——

3- प्रोत्साहन परियोजनायें - लक्ष्य

(क) नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक : _____ छात्र

(ख) बुक बैंक स्थापना : _____ विद्यालय

(ग) छात्रवृत्तियां : _____ छात्र

(घ) पोशाक : _____

योजना कार्यान्वयन के विभिन्न अंग

1- ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक तथा सीनियर बेसिक स्कूलों का खोला जाना ।

उद्देश्य - जिन बस्तियों में प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल स्तरीय शिक्षा की सुविधा नहीं है उनमें ऐसी शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना और इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में अग्रसर होना ।

योजना के विभिन्न अंग

1- प्रत्येक जनपद के सर्वे पर आधारित नये विद्यालयों के प्रस्ताव भेजना ।

2- स्कूल खोलने की स्वीकृति प्राप्त होना ।

3- जिला बेसिक शिक्षा समिति से नये विद्यालयों के लिए स्थानों का निर्धारण कराना । स्थानों का चयन सर्वे पर आधारित असेक्ति क्षेत्रों मे से प्राथमिकतानुसार होना चाहिए ।

4- नये भवन बनने तक विद्यालय संचालन के लिए भवन की अस्थायी व्यवस्था करना ।

5- विद्यालय भवन के लिए स्थान का चयन कर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/निर्माण एजेन्सी को भूस्थल का हस्तान्तरण करना ।

6- विद्यालय मे अध्यापक की नियुक्ति ।

7- विद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन ।

8- विद्यालय में वास्तविक शिक्षा प्रारम्भ होना ।

9- विद्यालय के लिए स्वीकृत अनुदान का उपभोग करना
§।§ टाट पट्टी §।।§ शिक्षण सामग्री §।।।§ अन्य ।

विभिन्न कार्यों की समय सारिणी :-

1- शासन द्वारा योजना के प्राविधान तथा लक्ष्यों की सूचना देना- । अप्रैल

2- विद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजना -15 अप्रैल

3- उक्त की स्वीकृति के उपरान्त निदेशालय से विद्यालय खोलने सम्बन्धी आदेश का प्रसारण 15 जून

4- विद्यालय के लिए स्थान चयन हेतु कमेटी की बैठक 30 मई

5- अध्यापकों की नियुक्ति 31 जुलाई

6- शिक्षण सामग्री टाट पट्टी हेतु क्रय समिति की बैठक 30 जून

7- उक्त की सप्लाई 31 अगस्त

8- विद्यालयों में उक्त सामान पहुँचाना 30 सितम्बर

9- विद्यालय प्रारम्भ होना § जुलाई/अगस्त में प्रारम्भ हो जाना §

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यक्ति व समाज के विकास का आधार है । उसका क्षेत्र सामान्य जीवन के क्षेत्र की भाँति ही व्यापक है क्योंकि शिक्षा का ध्येय मानव का सर्वांगीण विकास करना है ताकि वह न केवल नया ज्ञान ही प्राप्त कर सके वरन् बदलते हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश के अनुसार अपने को समायोजित कर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके । शैक्षिक नियोजन इसी की आधार शिला है ।

1 – नियोजन प्रक्रिया के
विकेन्द्रीकरण के शासन के आदेशों के उद्धरण

§1§ " विकेन्द्रित नियोजन की इकाई जनपद होगी तथा प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति का गठन किया जायेगा जो जनपद की योजना की संरचना और उसके कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगी । जनपद में मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास/जिला विकास अधिकारी इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे ।"

§2§ " मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य-सचिव संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त होंगे ।। विकेन्द्रित नियोजन की व्यवस्था के अन्तर्गत इस समिति की विशेष भूमिका होगी । "

§3§ जनपद समिति का प्रमुख कार्य जनपद की योजना तैयार करना होगा । इस समिति द्वारा तैयार की गयी योजना पर मण्डलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा और इस प्रकार अनुमोदित योजना की एक प्रति नियोजन विभाग को तथा योजना के संबंधित विभिन्न अध्यायों की प्रतियाँ संबंधित प्रशासनिक विभाग और विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जायेगी । यदि विभागाध्यक्ष को योजना के किसी भाग पर आपत्ति होगी तो उस आपत्ति पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार शासन स्तर पर निम्नांकित अधिकारियों की समिति को होगा :-

§क§ वित्त सचिव ।
§ख§ संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव ।
§ग§ नियोजन सचिव ।

§4§ समस्त विकास विभागों की योजनाओं को निम्नांकित दो भागों में विभक्त किया जायेगा :-

§क§ राज्य सेक्टर ।
§ख§ जिला सेक्टर ।

सामान्यतया राज्य सेक्टर में ऐसी योजनायें शामिल की जायेंगी जिनका लाभ किसी जनपद विशेष तक सीमित नहीं है, अर्थात् एक से अधिक जनपद जिनसे लाभान्वित होते हैं । जिला सेक्टर में ऐसी योजनायें रखी जायेंगी जिनसे मुख्यत: उसी जनपद विशेष को लाभ पहुँचता है जहाँ योजना लगाई जाती है ।

§5§ राज्य सेक्टर की योजना की संरचना का कार्य वर्तमान प्रणाली के अनुसार मुख्यालय में ही संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा किया जायेगा । परन्तु जिला सेक्टर की योजनाओं की संरचना का कार्य जनपदों की सम्बन्धित समितियों द्वारा किया जायेगा ।

§6§ वार्षिक आयोजनागत परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत भाग राज्य सेक्टर की योजनाओं के लिए और 30 प्रतिशत भाग जिला सेक्टर की योजनाओं के लिए सुरक्षित किया जायगा । राज्य सेक्टर के लिए सुरक्षित परिव्यय का आवंटन विकास विभागों के बीच और जिला सेक्टर के परिव्यय का आवंटन जनपदों के बीच नियोजन विभाग द्वारा किया जायगा।"

§7§ " जिला सेक्टर के परिव्यय के 95 प्रतिशत भाग का आवंटन जनपदों में एक निर्धारित मानक के आधार पर किया जाये । इस मानक में जनपदों की जनसंख्या और उनके विकास स्तर को समुचित भार §वेटेज§ दिया गया है। परिव्यय के शेष 5प्रतिशत भाग को जनपदों की विशेष समस्याओं, उनके द्वारा जुटाने वाले संसाधन अथवा प्रारंभ में उत्पन्न होने वाली "असंगतियों" को दूर करने के निमित्त आवंटन करने हेतु सुरक्षित रखा जायगा । "

§8§ प्रत्येक मण्डल में इस हेतु गठित समिति जनपदों से प्राप्त वार्षिक योजनाओं के प्रारूप पर विचार करेगी और विचारोपरान्त तथा ऐसे संशोधन सहित जिन्हें वह करना चाहे इन योजनाओं को अनुमोदित करेगी ।

§9§ मण्डलीय समिति द्वारा अनुमोदित "जिला योजना" की एक प्रति राज्य सरकार §नियोजन विभाग§ को तथा उसके विभिन्न भागों को प्रतियां संबंधित विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराई जायेगी ।

§10§ उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त जिला योजनाओं पर नियोजन विभाग में सभी प्रासंगिक दृष्टिकोणों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुये विचार किया जायेगा तथा संसाधनों की सीमाओं एवं राज्य की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत यदि किसी जिला योजना में कोई संशोधन, परिवर्तन करना अपरिहार्य होगा तो उसका समावेश करते हुए :-

1- जिला योजनाओं को अन्तिम किया जायेगा, और

2- एक ओर इस प्रकार अंतिम की गई जिला योजनाओं और दूसरी ओर राज्य सेक्टर की योजनाओं को आधार मानते हुये प्रदेश की योजना का प्रारूप तैयार किया जायेगा और उसे राज्य सरकार के विचारार्थ प्रेषित किया जायेगा ।

3 - जिला योजनाओं का वर्गीकरण

45 जिलास्तरीय योजनाओं को, संक्षेप में, निम्न पांच वर्गों में बांटा जा सकता है:-

1-	आवर्तक योजनायें	15	योग = 45
2-	अनावर्तक योजनायें	18	
3-	पूंजीगत योजनायें	5	
4-	पर्वतीय योजनायें	5	
5-	मैदानी-पर्वतीय (दोनों पर लागू) - (इस समय कोई प्राविधान मैदानी क्षेत्र में नहीं)	2	

प्रथम वर्ग की 15 आवर्तक योजनायें निम्न हैं :-

(1) प्रारम्भिक शिक्षा

1- असहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान (60101004)

2- ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान (60101006)

3- नागर क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं से जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान (60101007)

4- ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान (60101010)

5- नागर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान (60101011)

6- प्रत्येक जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण (60101013)

7- अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के कक्षा 1 से 5 तथा 6-8 में छात्रवृत्ति तथा अनावर्तक आर्थिक सहायता (60101014)

8- अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता (60101015)

9- पिछड़ी जाति के पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता (60101016)

10- प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6-8 में दस रु0 प्रतिमास की दर से 3 वर्ष तक के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां (60101017)

11- आदिवासियों के पूर्व माध्यमिक स्तर तक के अध्ययन कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता (60101018)

12- निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान (60101022)। (यह योजना अनावर्तक प्रकृति की है। चूंकि दूसरे वर्ष भी पहले वर्ष के विद्यालयों के लिए धनराशि प्रस्तावित की जाती है, अतः इसे आवर्तक कोटि में रखा गया है)

(2) माध्यमिक शिक्षा

13- कतिपय विद्यालयों में व्यवसायीकरण की आगामी परियोजना (60102034) ।

(3) प्रौढ़ शिक्षा

14- राज्य सरकार के संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार (60105001) ।

अन्य कार्यक्रम

15- अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान (60108003)

द्वितीय वर्ग की 18 अनावर्तक योजनाओं का विवरण निम्न है :-

प्रारम्भिक शिक्षा

1- ग्रामीण तथा नागर क्षेत्रों में भवन रहित स्कूल के भवन निर्माण हेतु अनुदान (60101001)

2- ग्रामीण तथा नागर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों को भवन निर्मापार्थ अनुदान (60101005)

3- जूनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान (60101008)

4- ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रसंख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्यपुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान (60101009)

5- सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान (60101034)

6- राजकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में बिजली के पंखों की व्यवस्था (60101019) ।

7- बेसिक स्कूलों में अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार (60101020)

8- ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये साज-सज्जा हेतु अनुदान (60101024)

9- जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान (60101025)

10- निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था (60101026)

माध्यमिक शिक्षा

11- सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सम्वर्द्धन (60102016)

12- सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को छात्रसंख्या तथा सेनेटरी सुविधा हेतु अनुदान (60102015)

13- राजकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में बिजली के पंखों की व्यवस्था (60102021)

शारीरिक शिक्षा खेलकूद तथा युवक कल्याण

14- खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु प्रावधान (60106001)

15- पूर्व माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का प्रसार (60106002)

अन्य कार्यक्रम

16- संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान [60108001]

कला तथा संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय

17- वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये जिला पुस्तकालयों की स्थापना [60110001]

18- सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान [60110002] ।

तृतीय वर्ग की पाँच पूँजीगत योजनायें निम्न हैं :-

प्रारम्भिक शिक्षा

1- वर्तमान राजकीय सीनियर बेसिक विद्यालय के भवनों एवं छात्रावासों का निर्माण [60101002] ।

2- जिलो में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण [60101023]

माध्यमिक शिक्षा

3- लघु और छोटे निर्माण कार्य के लिए रक्षित धनराशि [60102023]

अध्यापक शिक्षा

[1] प्रारम्भिक स्तर

4- राजकीय दीक्षा विद्यालयों में पानी की सुविधा एवं बिजली की व्यवस्था हेतु प्राविधान [60103001]

अन्य कार्यक्रम

5- राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण [60108005]

चतुर्थ वर्ग की केवल पर्वतीय क्षेत्र की पाँच योजनायें निम्न हैं :-

1- ग्रामीण तथा नागर क्षेत्रों के वर्तमान जू0बे0स्कूलों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु अनुदान [60101031]

2- प्रदेश के आवासकीय मान्यता प्राप्त सी0बे0स्कूलों का प्रान्तीयकरण [60101003]

3- छात्रसंख्या अनुपात को कम करने हेतु जू0एवं सी0 बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने हेतु अनुदान [60101033]

4- सहायता प्राप्त सी0बे0स्कूलों को भवन अनुदान [60101029]

5- सीमान्त जिलों व टिहरी गढ़वाल में राजकीय आदर्श विद्यालय खोलने हेतुअनुदान [60101030]

पंचम वर्ग की पर्वतीय - मैदानी दोनों पर लागू दो योजनायें निम्न है जिनके लिये इस समय कोई प्राविधान मैदानी क्षेत्र में नहीं है :-

1- वय वर्ग 6-11 के बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु छात्रवृद्धि अभियान [60101021]

2- विद्यालय स्कूलों का निर्माण [60101028]

4 - विभिन्न जिला योजनाओं हेतु निर्धारित मानक

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद में प्राइमरी स्कूलों तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के खोले जाने हेतु शासन से निम्नलिखित मानक निर्गमित हुए :-

(क) जिला योजना में प्रस्तावित कुल स्कूलों की संख्या का विकास खण्डवार विभाजन करने के लिए जिले में प्रत्येक विकास खण्ड की जनसंख्या से जूनियर बेसिक स्कूलों तथा सीनियर बेसिक स्कूलों का अनुपात निकाला जायेगा । चूंकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी कक्षा 6-8 की व्यवस्था होती है अतः ऐसे स्वीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या को भी सीनियर बेसिक स्कूलों में जोड़ दिया जायेगा । उक्त अनुपात के अनुसार जिले के विकास खण्डों की अवरोही क्रमानुसार तालिका बनाई जायेगी तथा स्थानों का चयन सर्वेक्षण के आधार पर किया जायगा ।

(ख) विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल स्थापित किये जाने के स्थानों का विनिश्चय हरिजनों की सर्वाधिक संख्या एवम् प्रस्तावित स्थल की अवस्थित स्कूलों से दूरी के आधार पर किया जायेगा । अर्थात् ऐसे गांव जहाँ हरिजनों की जनसंख्या अधिक है तथा जो अवस्थित स्कूलों से अधिकतम दूरी पर स्थित है उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ।

(ग) जिस विकास खण्ड में अनूसूचित/जनजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या अधिक है वहाँ स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्कूल भवन बनवाये जायेंगे ।

(घ) जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति मानक "क" के आधार पर विभिन्न विकास खण्डों में स्कूलों की संख्या आवंटित करेगी । विकास खण्डों में स्थलों का चयन पूर्व की भांति जिला शिक्षा समिति द्वारा उपरोक्त मानकों को दृष्टि में रखते हुए किया जायेगा । विकास खण्ड के ऐसे क्षेत्र जिनमें डेढ़ किलो-मीटर के अन्दर स्कूल तो उपलब्ध हैं परन्तु आबादी अधिक होने के कारण एक स्कूल या अतिरिक्त सेक्शनों से कार्य न चल रहा हो और वहाँ के निवासी स्कूल भवन निर्मित कर उपलब्ध कराने के इच्छुक हों वहाँ दूसरा स्कूल भी डेढ़ किलोमीटर के अन्दर स्वीकृत किया जा सकेगा और उनको प्राथमिकता भी दी जावेगी ।

जिले के स्कूल भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में निम्न मानक निश्चित किये गये :-

(1) सबसे उच्च प्राथमिकता सबसे पुराने स्वीकृत स्कूल भवन की रहेगी अर्थात् जिनके भवन निर्माण की स्वीकृति सबसे पहले दी गयी थी उन्हें पहले निर्मित किया जायगा । यदि एक ही तिथि को कई स्कूल स्वीकृत किये गये हैं तो जिनमें विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।

(2) स्कूल भवन के निर्माण में 20 प्रतिशत स्कूल स्पेशल कम्पानेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजन बाहुल्य क्षेत्र में बनेंगे ।

सामान्य शिक्षा की प्रमुख जिला स्तरीय परियोजनाओं के विभागीय मानकों/मापदण्डों का विवरण निम्न है :-

योजना संकेत संख्या 60101001 : ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में भवन रहित बेसिक स्कूल के भवन निर्माण हेतु अनुदान ।

इस योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु आवर्तक अनुदान निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जायगा :-

(1) निर्माण कार्य मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से कराया जायगा ।

(2) भवनों के निर्माण का विवरण अर्थात् बिल्डिंग प्लान शासनादेश सं0 3741/15(5)-81-410/75 दिनांक 4मई, 1981 के अनुसार होगा ।

(3) जिले में भवन निर्माण के सम्बन्ध में जूनियर बेसिक स्कूल विशेष का निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति करेगी । किन्तु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए इंगित भवनों की संख्या से कम संख्या नहीं होगी और उन स्कूलों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनकी स्थापना पहले हुई है और छात्रों की संख्या पर्याप्त है । विद्यालय भवन हेतु निम्न दर से अनुदान स्वीकृत किया जायगा :-

(क) सामान्य क्षेत्र :: 44,600/- प्रति भवन

(ख) बुन्देलखण्ड क्षेत्र संशोधित दरें पेज :: 55,750 प्रति विद्यालय

योजना संकेत संख्या - 60101002 : वर्तमान राजकीय सीनियर बेसिक स्कूलों के भवनों एवं छात्रावासों का निर्माण ।

यह चालू निर्माण कार्यों की योजना है । इसके अन्तर्गत राजकीय सीनियर बेसिक स्कूल अतरावली (गुलन्दशहर) बावली (मेरठ) गूढ़ा (मैनपुरी) पिण्डी (देवरिया) मऊ (आजमगढ़) तथा पावो (हरदोई) में निर्माण कार्य चल रहे हैं । इन कार्यों को पूर्ण कराने हेतु सा0नि0वि0 के स्थानीय अधिकारियों से परामर्श कर प्राविधान कराना होगा ।

योजना संकेत संख्या - 60101003 : प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूलों का प्रान्तीयकरण ।

यह केवल पर्वतीय क्षेत्र की योजना है । मैदानी जिलों में इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

योजना संकेत संख्या - 60101004 : असहायिक मान्यता प्राप्त अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का अनुरक्षण अनुदान ।

असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को पारम्भिक अनुदान देकर अनुदान सूची पर लाने हेतु चयन निम्न शर्तों/नियमों के अधीन किया जायेगा :-

(1) मैदानी क्षेत्र के बालक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की छात्र संख्या कम से कम 100 तथा बालिका विद्यालयों में 60 होनी चाहिए । पिछड़े क्षेत्रों में स्थित बालक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की छात्र संख्या कम से कम 75 तथा बालिका विद्यालय में 45 होनी चाहिये ।

निम्नलिखित क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र माना जायगा :-

(क) बुन्देलखण्ड

(ख) इलाहाबाद, इटावा, आगरा तथा मथुरा जनपदों के ग्रामीण अंचलों का ट्रांस यमुना क्षेत्र ।

(ग) मिर्जापुर जनपद का वह क्षेत्र जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है ।

(घ) मिर्जापुर जनपद में राबर्ट्सगंज का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है ।

(ङ) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरोध और टप्पा चौरासी बलायें पहाड़ी ।

(च) मिर्जापुर जनपद के परगना राबर्ट्सगंज और तहसील चुनार के परगना अहरौरा और मांगवत पहाड़ी पोटियों के ग्राम ।

(2) अनुरक्षण अनुदान हेतु केवल स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर ही विचार किया जायेगा । किन्तु स्थायी मान्यता को केवल अर्हता के रूप में लिया जायगा । तत्पश्चात् विद्यालयों की ज्येष्ठता तय करने में अस्थायी मान्यता का वर्ष ऐसे सभी विद्यालयों के लिए मान लिया जायेगा जो अस्थायी मान्यता के पांच वर्ष (पिछड़े क्षेत्रों में 7 वर्ष) के अन्दर स्थायी मान्यता प्राप्त कर लेंगे। 5 वर्ष (पिछड़े क्षेत्रों में 7 वर्ष) की अवधि के अन्तर्गत जो अस्थायी विद्यालय स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं कर पायेंगे उनको एक वर्ष के लिये विलम्ब के लिये एक वर्ष पीछे की मान्यता वेतन वितरण अधिनियम में लाने हेतु दी जायगी । उदाहरणार्थ यदि अस्थायी मान्यता के वर्ष (पिछड़े क्षेत्रों में 9 वर्ष) स्थायी मान्यता प्राप्त की जायगी तो इस संबंध में उनकी ज्येष्ठता 2 वर्ष पीछे हो जायेगी । उपरोक्त आधार पर सभी अर्ह विद्यालयों को अंक दिये जायेंगे । इसके 70 अंक ज्येष्ठता के आधार पर और 30 अंक क्वालिटी के आधार पर रहेंगे । जो विद्यालय 5 वर्ष के अन्दर स्थायी मान्यता प्राप्त करेंगे उन्हें 70 अंक दिये जायेंगे । क्वालिटी के अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :

(क) छात्र संख्या :- चौथे सर्वे के आधार पर पूरे प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों की औसत छात्र संख्या ज्ञात की जाय यह औसत उपरोक्त मार्किंग के लिये न्यूनतम अर्हता मान ली जाय। इसके बाद प्रति सेक्शन स्ट्रेन्थ अथवा 40 से अधिक की भर्ती पर 2 अंक दिये जायं । अधिकतम अंक 10 रहेंगे ।

(ख) परीक्षाफल :- परीक्षाफल के लिये 15 अंक निर्धारित हैं । इसके आधार पर निम्नवत् अंक दिये जायेंगे :-

परीक्षाफल प्रतिशत	दिये जाने वाले अंक
50 प्रतिशत	0
50 से 60 प्रतिशत	3
60 से 70 प्रतिशत	6
70 से 80 प्रतिशत	9
80 से 90 प्रतिशत	12
90 से 100 प्रतिशत	15

§3§ अस्थायी से स्थायी मान्यता वर्तमान में अन्य विद्यालयों के लिये 5 वर्ष और पिछड़े क्षेत्रों में 7 वर्ष अस्थायी मान्यता रहने पर नकारात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे। इस आधार पर अंकों का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगा :

§क§ अस्थायी से 4 वर्ष के अन्दर स्थायी मान्यता प्राप्त करने पर 2 अंक

§ख§ अस्थायी से 3 वर्ष के अन्दर स्थायी मान्यता प्राप्त करने पर 3 अंक

§ग§ अस्थायी से 2 वर्ष के अन्दर स्थायी मान्यता प्राप्त करने पर 4 अंक

§घ§ अस्थायी से 1 वर्ष के अन्दर स्थायी मान्यता प्राप्त करने पर 5 अंक

§4§ बालक तथा बालिका विद्यालयों में सभी अध्यापक प्रशिक्षित हों अथवा ट्रेनिंग से मुक्त कर दिये गये हों। विभागीय अध्यापकों के सम्बन्ध में छूट रहेगी।

§5§ विद्यालय का अपना भवन हो और भवन स्थायी मान्यता के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

§6§ विद्यालय का अनुशासन संतोषजनक हो और विद्यालय के विद्यार्थियों या अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासन हीनता की किसी प्रकार की शिकायत न हो।

§7§ विद्यालय के प्रबन्ध समिति सुचारु रूप से संचालित हो और किसी प्रकार की शिकायत न हो।

§8§ अधीनस्थ अधिकारियों की स्पष्ट संस्तुति हो।

§9§ बालक तथा बालिका विद्यालयों का लगातार तीन वर्षों का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न हो। गुणात्मक अंक अन्तिम वर्ष के परीक्षाफल पर दिये जायेंगे।

§10§ हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल स्तर पर अनुदान सूची पर लाये जाने हेतु विचार नहीं किया जायगा।

§11§ जिस वर्ष जितने विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना हो उसके कम से कम डेढ़ गुने विद्यालयों की संख्या पर विचार किया जाय।

योजना संकेत संख्या -5010005 : ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान।

इस योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु अनावर्तक अनुदान निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जायगा :-

§1§ निर्माण कार्य मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से कराया जायगा।

§2§ भवनों के निर्माण का विवरण अर्थात बिल्डिंग प्लान शासनादेश संख्या 3741/15-410-35, दिनांक 4 मई, 1981 के अनुसार होगा।

§3§ जिले में भवन के निर्माण के सम्बन्ध में सी0बे0स्कूल विशेष का निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति लेगी। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी जहाँ पहले से ही परिषद द्वारा सी0बे0 स्कूल संचालित हैं तथा छात्रों की संख्या पर्याप्त है।

विद्यालय भवन हेतु निम्न दर से अनुदान स्वीकृत किया जायगा :-

§क§ सामान्य क्षेत्र .. 97,000

§ख§ बुन्देलखण्ड क्षेत्र संशोधित दरें पेज 17- पृष्ठ 1,21,250

योजना संकेत संख्या - 6010I006 : ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू0बे0 विद्यालय खोलने हेतु अनुदान ।

ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन मिश्रित जू0बे0 स्कूल खोले जाने का आधार अखिल भारतीय चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नवत होगा :-

(1) क्षेत्रीय असमानता को दूर करने तथा प्रदेशीय साक्षरता प्रतिशत से पिछड़ेपन का निवारण करना ।

(2) जिन गांवों की जनसंख्या 300 या इससे अधिक हो और वहाँ अभी तक जू0बे0 स्कूल की स्थापना न हो पायी हो ।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता देना तथा कम से कम 15 प्रतिशत विद्यालयों की ऐसे क्षेत्रों में स्थापना। 5 प्रतिशत विद्यालयों की स्थापना ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत की जायेगी ।

(4) ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई अन्य जू0बे0 स्कूल का न होना ।

(5) डेढ़ किलोमीटर या 1 मील की परिधि में कोई अन्य जू0बे0 स्कूल का न होना तथा

(6) ग्रामीण जनता एवं ग्राम सभाओं का अपने प्रयास से निर्धारित माप का भवन बनवाकर देने को तैयार होना । ग्रामीण क्षेत्र में एक मिश्रित जू0बे0 स्कूल [निम्न व्यय स्वीकृत किया जायेगा :-

आवर्तक—

1- सहायक अध्यापक वेतन क्रम 365-555 तथा अनुमन्य भत्ता (8 माह के लिये) आकस्मिक व्यय प्रतिवर्ष 220 रु0

अनावर्तक——

साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण हेतु प्रथम वर्ष में	—	400 रु0
विज्ञान उपकरण हेतु प्रथम वर्ष में	—	300 रु0
भवन हेतु सामान्य क्षेत्र में	——	44,600 रु0
बुन्देलखण्ड क्षेत्र में संशोधित दरें पेज ६७-६८		55,750 रु0

योजना संकेत संख्या - 60I0I007 : नगर क्षेत्रों में बालक तथा बालिकाओं के जू0बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान ।

नगर क्षेत्रों में मिश्रित जू0बे0 स्कूल खोलते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि जनपद में खोले जाने वाले विद्यालयों में से 20 प्रतिशत विद्यालय हरिजन बाहुल क्षेत्रों में खोले जायें तथा 80 प्रतिशत विद्यालय सामान्य क्षेत्रों में खोले जायें । इन मिश्रित जू. बे. स्कूलों में बालक तथा बालिका दोनों को प्रवेश दिया जायगा ।

प्रदेश के मैदानी जिलों के नगर क्षेत्रों में खोले जाने वाले जू0बे0 स्कूलों को प्रति विद्यालय की दर से निम्न व्यय की स्वीकृति दी जायेगी :-

आवर्तक

1- एक प्रधानाध्यापक वेतन क्रम 400-620 तथा अनुमन्य भत्ता (8माह के लिये)

2- दो सहायक अध्यापक वेतनक्रम 365-555 तथा अनुमन्य भत्ता (8माह के लिये)

3- भवन किराया 600 रु0 प्रतिमाह की दर से ।

4- आकस्मिक व्यय 300 रु0 प्रति विद्यालय ।

अनावर्तक

साज-सज्जा एवं काष्ठोपकरण हेतु प्रति विद्यालय 2000 रु० ।

योजना संकेत संख्या - 60101008 : जू०वे० स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान रुचि हेतु अनुदान ।

धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है :-

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्मित विज्ञान उपकरण बाक्सों (विज्ञान किट्स) का क्रय किया जायगा ।

(2) उपकरण बाक्स का प्रयोग कक्षा 3-5 में किया जायगा ।

(3) विद्यालय का चुनाव जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा और वे निम्न बातों का चयन करते समय ध्यान रखेंगे :-

(क) जिन स्कूलों का चयन किया जाय उनके अपने अथवा किराये के अथवा किसी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध हों ।

(ख) स्कूल पाँचवी पंचवर्षीय योजना के पूर्व अर्थात् 1973-74 के पूर्व स्थापित किया गया हो ।

(ग) स्कूल में छात्र संख्या पर्याप्त हो ।

(4) विज्ञान किट्स, निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद के निर्देशानुसार उद्योग निदेशालय द्वारा अनुमोदित फर्म से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा क्रय किया जायेगा ।

(5) जिला बेसिक शिक्षाअधिकारी द्वारा अनुदान का उपयोग 31 मार्च तक निश्चित रूप से कर लिया जायेगा । उक्त योजना के अन्तर्गत 300 रु० प्रति विद्यालय की दर से अनुदान स्वीकृत किया जायेगा ।

योजना संकेत संख्या - 60101009 : ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को पाठ्य पुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान ।

पाठ्य पुस्तकों का वितरण निर्बल वर्ग के बालक/बालिकाओं को ही किया जायगा । निर्बल वर्ग की बालिकाओं/बालक का तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिनके माता पिता की समस्त श्रोतों से आय वित्तीय वर्ष में रु० 2000 से अधिक न हो । यदि माता-पिता की मृत्यु हो गयी हो तो उस स्थिति में माता-पिता के स्थान पर संरक्षक के पारिवारिक आय को आधार माना जायेगा ।

इस योजनान्तर्गत 3/- रुपये की दर से प्रति छात्र को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी ।

योजना संकेत संख्या - 60101010 : ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के सी0बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान ।

नवीन सी0बे0 स्कूल खोले जाने का आधार चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नवत् होगा :-

(1) क्षेत्रीय असमानता दूर करने तथा प्रदेशीय साक्षरता प्रतिशत से पिछड़ेपन का निवारण करना,
(2) छात्र संख्या की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाना
(3) जहाँ की जनसंख्या 1000 या उससे अधिक हो और अभी तक सी0 बे0 स्कूल की स्थापना न हो पायी हो,
(4) अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दिया जाना,
(5) जनपद के किसी न्याय पंचायत क्षेत्र में कोई अन्य सी0बे0 स्कूल का न होना,
(6) 3 कि0मी0 की परिधि में कोई अन्य सीनियर बेसिक स्कूल का न होना तथा,
(7) ग्रामीण जनता एवं ग्राम सभाओं का अपने प्रयास से निर्धारित मानक भवन बनाकर देने को तैयार होना ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों एवं बालिकाओं के एक सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु निम्न व्यय स्वीकृत किया जायेगा :-

आवर्तक -

1- एक प्रधानाध्यापक वेतन क्रम 490-860 अनुमन्य भत्तों सहित (8माह का)
2- दो सहायक अध्यापक वेतन क्रम 450-720 अनुमन्य भत्तों सहित (8माह का)
3- आकस्मिक व्यय (किसान, कापट, मेहतर तथा स्टेशनरी, साज-सज्जा, मरम्मत इत्यादि) प्रति विद्यालय 1000 रु0 ।

अनावर्तक-

काष्ठोपकरण, शिक्षण सामग्री एवं विज्ञान किट तथा अन्य सज्जा हेतु (प्रथम वर्ष) 5,500 रु0 ।

योजना संकेत संख्या - 60101011 : नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षायें खोलने हेतु अनुदान ।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की पूर्ति की दशा में भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना प्रारम्भ की गयी है । इस योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद के चुने गये दो विकास खण्डों में 50-50 प्राइमरी स्तर के तथा 48 मैदानी जिलों में इन्हीं विकासखण्डों में 15-15 तथा 8 पर्वतीय जिलों में 10-10 मिडिल स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्राविधान किया गया है ।

वर्तमान योजना 9-14 वयवर्ग के ऐसे बालक/बालिकाओं के लिये है जो कभी सामान्य प्राइमरी पाठशाला में नहीं गये थे या जिन्होंने किन्हीं आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और बीच में ही पढ़ना छोड़ दिया । ऐसे बच्चों को थोड़े समय में ही अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने की व्यवस्था की गयी है ।

यह केन्द्र पंचायत घरों एवं बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त ऐसे प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों में खोले जायेंगे जहां भवन उपलब्ध है। यह केन्द्र इन विद्यालयों में शिक्षणकाल के पूर्व अथवा उसके उपरान्त अर्थात् प्रातःकाल अथवा सायंकाल स्थानीय सुविधा के अनुसार संचालित होंगे। एक केन्द्र नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में तभी खोला जायेगा जब विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 10 उपलब्ध होगी। एक अध्यापक 25 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करेगा।

6-11 वय वर्ग के अनौपचारिक शिक्षा हेतु खोले गये एक केन्द्र पर निम्नवत् व्यय किया जायगा -

	रु०
1- शिक्षण का पारिश्रमिक 50 रु० माह, प्रति शिक्षक	600
2- आकस्मिक व्यय प्रति केन्द्र	300
3- शिक्षण सामग्री 50 रु० प्रति केन्द्र	50
व्यय प्रति केन्द्र	950

11-14 वय वर्ग के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा हेतु खोले गये एक केन्द्र पर निम्नवत् व्यय किया जायगा :-

	रु०
1- शिक्षक का पारिश्रमिक रु० 60 प्रतिमाह की दर से	720
2- आकस्मिक व्यय 350 रु० प्रति केन्द्र	350
3- शिक्षण सामग्री 75 रु० प्रति केन्द्र	75
व्यय प्रति केन्द्र-	1145

योजना संकेत संख्या - 60101013 : प्रत्येक जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक पद टीपा लेखक तथा एक जीप तथा टेलीफोन देने की व्यवस्था है। यह पूर्व में ही स्वीकृत हो चुके हैं। जिला योजना में वर्ष 1979-80 से सृजित पदों के सततीकरण तथा इन्हीं वर्षों में दी गई जीप के व्यय एवं टेलीफोन पर व्यय हेतु प्राविधान किया जाएगा।

(क) योजना संकेत संख्या - 60101014 : अनुसूचित जनजाति के बालकों/बालिकाओं के कक्षा 1-5 तथा 6-8 में छात्रवृत्ति तथा अनावर्तक आर्थिक सहायता।

(ख) योजना संकेत संख्या - 60101015 : अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के बालक/बालिकाओं को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता।

(ग) योजना संकेत संख्या- 60101016 : पिछड़ी जाति के पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता।

घ) योजना संकेत संख्या – 60101017 : प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 में 10 रुपया प्रति मास की दर से 3 वर्ष तक के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां।

ड॰) योजना संकेत संख्या – 60101018 : आदिवासियों के पूर्व माध्यमिक स्तर तक के अध्ययन कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता।

क्रम (क) से (ड॰) तक की पाचों योजनाओं में वर्ष 1979-80 से स्वीकृत छात्रवृत्तियों के सततीकरण/नवीनीकरण हेतु ही प्राविधान किया जायेगा।

योजना संकेत संख्या – 60101019 : राजकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में बिजली के पंखों की व्यवस्था।

इस योजना में सर्वप्रथम उन [illegible] कार्यालयों तथा विद्यालयों को लिया जाय जहां कमरों के अनुपात में मांग अधिक हो। 80 प्रतिशत प्राविधान विद्यालयों के लिए तथा 20 प्रतिशत कार्यालयों के लिए किया जाए। यह योजना प्रारंभिक शिक्षा की है। अतः बे. शि. अधिकारी [illegible] राजकीय कार्यालयों तथा विद्यालयों के लिये प्राविधान करेंगे।

योजना संकेत संख्या – 60101020 : बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार।

बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार हेतु चयन निम्नलिखित अर्हताओं/शर्तों के आधार पर किया जायगा :-

1– उक्त योजनान्तर्गत प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों को पुरस्कृत किया जायगा। जो अध्यापक इस योजना से लाभान्वित होंगे वे किसी सरकारी या गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के अध्यापक हो सकते हैं।

2– यह पुरस्कार उन अध्यापकों को नहीं मिलेगा जिन्हें राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार अथवा दक्षता पुरस्कार इसके पूर्व में प्राप्त हो चुका है।

3– उक्त योजना में प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों के केवल उन्हीं अध्यापकों को सम्मिलित किया जायगा जो पांचवी अथवा आठवें कक्षा को पढ़ाते हों।

4– दक्षता पुरस्कार देने के लिए अध्यापक/अध्यापिकाओं के परीक्षाफल एक विशिष्ट मानक होगा।

5– परीक्षाफल की दृष्टि से यदि अध्यापक/ अध्यापिका एक ही विषय पढ़ाता/पढ़ाती हो तो उस विषय का उत्तीर्ण प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम न हो। यदि अध्यापक/अध्यापिका एक से अधिक विषयों को पढ़ाता/पढ़ाती हो तो प्रत्येक विषय का उत्तीर्ण प्रतिशत 70 प्रतिशत से कम न हो।

6– न्यूनतम अर्हता को पूरा करने वाले अध्यापकों में से पुरस्कार के लिये चयन करते समय गुणात्मक दृष्टिकोण को भी आधार रखा जायगा तथा इसे परीक्षाफल की श्रेणी से सम्बद्ध रखा जायगा। इस दृष्टिकोण से अध्यापक द्वारा पढ़ाये जा रहे विषयों में से कम से कम मैदानी क्षेत्र के 20 छात्रों तथा पर्वतीय क्षेत्र में 15 छात्र प्राइमरी अथवा जूनियर हाईस्कूल की अन्तिम परीक्षा में अवश्य बैठे हों।

उपर्युक्त अर्हताओं के अतिरिक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं में निम्नलिखित गुणों का भी होना आवश्यक है :-

1– छात्र/छात्राओं पर अनुशासन रखने की क्षमता उच्च कोटि की हो ।

2– प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक अध्यापक के कार्य एवं आचरण को उच्चकोटि का समझते हो तथा उनमें कोई विवाद न हो ।

3– पाठ्येत्तर कार्यक्रम जैसे खेलकूद, स्काउटिंग, रेडक्रास, स्वावलम्बन एवं प्रोजेक्ट्स आदि में सक्रिय भाग तथा पूर्ण सहयोग देता रहा हो ।

योजना संकेत संख्या – 60101021 : वय वर्ग 6–11 के बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु छात्रवृद्धि अभियान ।

यह केवल पर्वतीय क्षेत्र की योजना है । मैदानी क्षेत्र में इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

योजना संकेत संख्या – 60101022 : निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु सीनियर बेसिक स्कूलों में पाठ्यपुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान ।

पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान निम्न प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जायगा :-

1– बुक बैंक से पुस्तकें अनुसूचित जाति/जनजाति यदि उन्हें पुस्तकीय सहायता प्राप्त नहीं होती है तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से निर्बल वर्ग के छात्र/छात्राओं को शैक्षिक सत्र के लिये दी जायेंगी ।

2– बुक बैंक स्थापित करने के लिये उन्हीं स्कूलों को चुना जायगा जिनमें बीस सूत्री कार्यक्रम अथवा पांचवीं पंचवर्षीय योजना एवं छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुक बैंक स्थापित नहीं किया गया है ।

3– पुस्तकों के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि छात्र/छात्राओं से वार्षिक शुल्क के रूप में पुस्तक देते समय ली जायेगी ।

4– प्राप्त शुल्क का उपयोग पुस्तकों के रखरखाव पर किया जाएगा ।

5– यदि किसी छात्र से कोई पुस्तक खो जाती है या फट जाती है तो पुस्तक के मूल्य के बराबर या 1/2 दंड के रूप में वसूल किया जायगा और उससे नयी पुस्तक क्रय की जायेगी अथवा मरम्मत की जायगी । दंड की वसूली का उत्तर दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा ।

बुक बैंक हेतु चुने गये विद्यालय को 500 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जायगा । इस अनुदान से प्रथम वर्ष में कक्षा 6–7 तथा 8 में 8–8 सेट क्रय किये जायेंगे । यह सेट सभी मान्य विषयों की निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के होंगे तथा तीनों कक्षाओं के सम्मिलित सेट का मूल्य 40 रुपये होगा । इस प्रकार एक विद्यालय को प्रथम वर्ष पुस्तकों के क्रय हेतु 320 रु० तथा पुस्तकों के रखने हेतु एक छोटी आलमारी के क्रय हेतु 180 रु० अर्थात कुल 500 रु० स्वीकृत किया जायगा । दूसरे वर्ष विद्यालय को ढाई सौ रुपया स्वीकृत किया जायगा । इस धनराशि से कक्षा 6–8 तक की पाठ्य पुस्तकों के 6 सेट 40 रु० प्रति सेट की दर से क्रय किये जायेंगे तथा शेष बची-हुई दस रुपये की धनराशि से पिछले वर्ष क्रय की गई पुस्तकों के मरम्मत तथा रख-रखाव पर व्यय किया जायगा ।

योजना संकेत संख्या - 60101023 : जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवनों का निर्माण ।

इस योजनान्तर्गत गोरखपुर तथा लखीमपुर जनपदों में ही भवन निर्माण कार्य चल रहा है । जिला योजना में इन कार्यों को पूर्ण कराने हेतु सा०नि०वि० के स्थानीय अधिकारियों से परामर्श कर धन की व्यवस्था करनी होगी ।

योजना संकेत संख्या - 60101024 : ग्रामीण क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये साज-सज्जा हेतु अनुदान ।

साज सज्जा हेतु अनुदान के लिये उन्हीं विद्यालयों का चयन किया जायगा जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करेंगे :-

1- विद्यालय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व अर्थात 1974-75 से पूर्व स्थापित किया गया हो और उसके लिये इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री उपलब्ध न कराई गयी हो ।

2- विद्यालय के पास शिक्षण कार्य हेतु अपना, किराये का अथवा किसी संस्था का भवन उपलब्ध हो ।

3- विद्यालय की छात्र संख्या 50 से अधिक हो ।

4- ग्रामीण क्षेत्र में इस अनुदान हेतु विद्यालय का चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा किया जायगा और अगर क्षेत्र के विद्यालयों का चयन संबंधित स्थानीय निकाय के शिक्षा अधीक्षक स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके करेंगे ।

5- इस अनुदान से क्रय किये जाने वाला सामान शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार पंचायत उद्योगों से लिया जायगा और जो सामान पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित नहीं होता है तो उसे शासन के स्टोर पर्चेज रूल्स के अनुसार किया जायगा ।

6- इस अनुदान हेतु चुने गये प्रति विद्यालय में उपलब्ध काष्ठोपस्कर, साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री के रख-रखाव एवं मरम्मत पर भी व्यय किया जायगा ।

अनुदान हेतु चुने गये प्रत्येक सीनियर बेसिक स्कूल को इस योजना के अन्तर्गत 1000 रु० की दर से अनुदान स्वीकृत किया जायगा ।

योजना संकेत संख्या - 60101025 : जूनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान ।

जूनियर बेसिक स्कूलों में साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुदान स्वीकृत किया जायगा :-

1- विद्यालय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्व अर्थात 1974-75 से पहले स्थापित किया गया हो और उसके लिये इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री उपलब्ध न कराई गयी हो ।

2- विद्यालय के पास शिक्षण कार्य हेतु अपना, किराये का अथवा किसी संस्था का भवन उपलब्ध हो ।

3- विद्यालय में छात्र संख्या 100 से अधिक हो ।

4- अनुदान हेतु ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का चयन जिला बेसिक शिक्षा चयन समिति द्वारा किया जायगा तथा नगर क्षेत्र के विद्यालयों का चयन संबंधित स्थानीय निकाय के शिक्षा अधीक्षक स्थानीय निकाय के प्रभारी अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके करेंगे।

5- इस अनुदान से सामान का क्रय पंचायत उद्योगों से किया जायगा और जो सामान पंचायत उद्योगों द्वारा निर्मित नहीं होता है उसे शासन के स्टोर पर्चेज रूल्स के अनुसार किया जायगा।

6- इस अनुदान से चुने गये विद्यालयों में उपलब्ध साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री के रख-रखाव एवं मरम्मत पर व्यय किया जायगा।

अनुदान हेतु चुने गये प्रत्येक जूनियर बेसिक स्कूल को 500 रु० की दर से अनुदान स्वीकृत किया जायगा।

योजना कोड संख्या -60101025 : निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था।

पोशाक की व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी जिससे निर्बल वर्ग के बच्चे लाभान्वित हो सकें।

1- निर्बल वर्ग का आशय जाति के आधार पर न होकर सभी आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से होगा किन्तु जो धनराशि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये स्वीकृत की जा रही है वह उन्हीं पर व्यय की जाय।

2- परिवार/संयुक्त परिवार की आय 250 रु० मासिक या 3000 रु० वार्षिक से अधिक न हो। कृषि आय की दशा में सिंचित भूमि 2.5 एकड़ अथवा असिंचित भूमि 4.00 एकड़ से अधिक न हो।

3- 25 रु० की सीमा तक छात्र/छात्राओं को एक सेट पोशाक दी जायेगी। छात्रों के लिए नेवी ब्ल्यू जीन का नेकर तथा हल्के रंग की पापलीन का हाफ शर्ट होगी। इसी प्रकार छात्राओं के लिये नेवी ब्ल्यू जीन का स्कर्ट और उसके नीचे सी रंग का पापलीन का ब्लाउज होगा। 25 रु० की दर में टेलरिंग व्यय भी सम्मिलित होगा जो एक तिहाई अनधिक होगा।

4- निर्बल वर्ग के बच्चों को छोड़कर अन्य बच्चों के अभिभावकों को इसी रंग की पोशाक अपने बच्चों को देने के लिए प्रेरित किया जायगा।

निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक 25 रु० प्रति छात्र/छात्रा की दर से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

योजना कोड संख्या -6010102८ : विद्यालय स्कूलों का निर्माण।

यह योजना सम्प्रति स्थगित है। अतः इसके लिए कोई प्राविधान नहीं होगा।

योजना कोड संख्या -6010102९ : सहायता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूलों को भवन अनुदान।

यह केवल पर्वतीय क्षेत्र की योजना है। मैदानी जिलों में इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।

(क) योजना संकेत संख्या - 60101030 : सीमान्त जिलों तथा टिहरी गढ़वाल में राजकीय आदर्श विद्यालय खोलने हेतु अनुदान ।

(ख) योजना संकेत संख्या - 60101034 : ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के वर्तमान जूनियर बेसिक स्कूलों के रख रखाव एवं मरम्मत हेतु अनुदान ।

(ग) योजना संकेत संख्या - 60101035 : छात्र संख्या अनुपात को कम करने हेतु जूनियर एवं सीनियर बेसिक स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करने हेतु अनुदान ।

(क) से (ग) तक की तीनों केवल पर्वतीय क्षेत्र की योजनायें है । मैदानी जिलों में इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

योजना संकेत संख्या -60101034 : ग्रामीण/नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान साज-सज्जा हेतु अनुदान ।

सीनियर बेसिक स्कूलों में विज्ञान सज्जा के सुधार एवं विज्ञान हेतु अनुदान निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित स्वीकृत किया जायगा ।

1- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्मित विज्ञान उपकरण बाक्स (विज्ञान किट्स) का क्रय किया जायगा जिसमें जूनियर हाईस्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक विज्ञान, पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक विज्ञान उपकरण को पाठ्यक्रम के अनुरूप विज्ञान का समुचित ज्ञान कराये जाने के लिये आवश्यक है, सम्मिलित होंगे ।

2- उपकरण बाक्स का प्रयोग कक्षा 6 से 8 में किया जायगा ।

3- विद्यालयों का चुनाव जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायगा जो निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करके निर्णय करेंगे :-

(क) विद्यालय पांचवी पंचवर्षीय योजना के पूर्व अर्थात् 1974-75 से पहले स्थापित किया गया हो ।

(ख) विद्यालय के पास शिक्षण कार्य हेतु अपना किराये का अथवा किसी संस्था का भवन उपलब्ध हो ।

(ग) विद्यालय की छात्र संख्या 100 या इससे अधिक हो ।

(घ) विज्ञान किट्स निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद के निर्देशानुसार उद्योग निदेशालय द्वारा अनुमोदित फर्म से केन्द्रीय रूप से क्रय किया जायगा ।

4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुदान का उपभोग 30 दिसम्बर, 1982 तक निश्चित रूप से कर लिया जाय तथा उपभोग प्रमाण पत्र शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को 3 अक्टूबर, 1982 तक भेज दिया जाय ।

5- यह धनराशि केवल उसी कार्य पर व्यय की जायेगी जिसके लिये वह स्वीकृत की जा रही है । अस्थायी रूप से भी यह अथवा कोई भाग अन्य कार्य के लिये प्रयोग में नहीं लाया जायेगा ।

6- इस अनुदान पर राजाज्ञा संख्या -ए-1-2364/दस दिनांक 20 जनवरी, 1971 के संलग्न में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे ।

(क) योजना संकेत संख्या = 6010 2016 : सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सम्वर्द्धन, एवं

(ख) योजना संकेत संख्या - 6010 2015 : सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त छात्रसंख्या तथा सैनेटरी सुविधा हेतु अनुदान ।

शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दृष्टि से वर्तमान सहायता प्राप्त गैर सरकारी पूर्व माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए विभाग ने अनावर्तक अनुदान देने की उक्त योजनाएं चला रखी हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

योजना	अनुमानित लागत (रु० में)	शासकीय अनुदान (रु० में)	प्रबन्धकीय अंशदान (रु० में)
1- उ०मा०वि० को पुस्तकालय सम्वर्द्धन हेतु अनुदान	8,000	6,400	1,600 बालक
		7,200	800 बालिका
2- उ०मा०विद्यालयों को अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु अनुदान			
(1) साज सज्जा	7,000	6,300	700
(2) कक्षा कक्ष एवं शौचालय	25,000	22,500	2,500

उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रबन्धकों को अपने आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र (जो जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध हैं) पर भर कर पूर्ण पत्राचार सहित अपने जिले के शिक्षा अधिकारी को विलम्बतम जुलाई 31 तक प्रस्तुत करने होते हैं । प्रत्येक विद्यालय को एक वर्ष में केवल एक ही अनुदान मिलेगा ।

अनुदान स्वीकृत करने के लिए सामान्य अर्हताओं का विवरण निम्नवत् है:

1- स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों की प्रशासन योजना स्वीकृत हो ।

2- विद्यालय का अनुरक्षण अनुदान निलम्बित न हो अथवा विद्यालय में प्रशासक, रिसीवर या प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त न हो ।

3- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई विवाद न हो ।

4- विद्यालय ने पूर्वगामी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अनुदान को छोड़कर अन्य सभी वर्षों के अनावर्तक अनुदानों का उपयोग कर लिया हो ।

5- विद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम विभागीय अधिकारियों के निर्णयों का कार्यान्वयन हो रहा हो ।

6- विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद की पूर्व गामी परीक्षा में सामूहिक नकल का दोषी न रहा हो ।

टिप्पणी :- यदि किसी केन्द्र के अथवा किसी विद्यालय के कुल परीक्षार्थियों के 5प्रतिशत परीक्षार्थी (उन परीक्षार्थियों के अतिरिक्त जो केन्द्र के निरीक्षकों या व्यवस्थापक द्वारा अलग-अलग पकड़े गए हों) नकल के लिए दंडित होंगे तो उसे सामूहिक नकल का दोषी समझा जाएगा ।

7- संस्था का अनुशासन अच्छा रहा हो और सामूहिक रूप से संस्था के छात्रों ने अनुशासनहीनता में भाग न लिया हो । संस्था के कर्मचारियों/अध्यापकों द्वारा छोटी मांग लेकर आन्दोलनात्मक कार्यवाही न की गई हो ।

8- विद्यालय द्वारा कर्मचारियों के वेतन वितरण में कोई गम्भीर चूक (defaults) न की गई हो और वहां के लेखाओं में कोई गम्भीर वित्तीय अनियमितता न हो ।

9- विद्यालय ने अपना आवेदन-पत्र उचित माध्यम द्वारा दिया हो और उस पर स्थानीय अधिकारियों की संस्तुति हो ।

10- विद्यालय का परीक्षाफल संतोषजनक हो । विद्यालय (चाहे उसमें केवल हाईस्कूल कक्षाएं हों) का दो वर्षों में सभी वर्गों को मिलाकर (सम्पूर्ण) औसत परीक्षाफल 55प्रतिशत से (सभी प्रविष्ट और उनमें से उत्तीर्ण छात्रों को आधार मानकर) कम न हो (पूरक परीक्षा के परीक्षार्थियों को छोड़ कर) ।

11- विद्यालय को पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में उस प्रयोजन हेतु कोई अनुदान स्वीकृत न हुआ हो जिसके लिए अब अनुदान प्रार्थित है ।

12- विद्यालय की छात्र/छात्रा संख्या कक्षा 6 तथा उच्चतर कक्षाओं में 300 से कम न हो । बालिका संस्थाओं तथा झांसी मण्डल स्थित संस्थाओं के लिए न्यूनतम छात्रसंख्या की सीमा 100 रहेगी ।

13- विद्यालयों की प्रतियोगितात्मक वरीयता का निर्धारण दो वर्षों के संयुक्त परीक्षाफल के आधार पर किया जाएगा ।

14- पुस्तकालय के लिए 400 वर्गफीट (20×20) कक्ष एक कक्षा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो ।

15- अनुदान की दानराशि का 10% भाग पुस्तकालय की साज सज्जा तथा काष्ठोपकरण पर एवं शेष 90% पुस्तकों के क्रय पर व्यय किया जाएगा ।

16- अतिरिक्त छात्रसंख्या हेतु विद्यालय की छात्रसंख्या में गत दो वर्षों में कम से कम 60 छात्रों की वृद्धि हुई हो ।

17- अतिरिक्त कक्षा तथा शौचालय का मानचित्र जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्वीकृत होना चाहिए ।

योजना संकेत संख्या- 60102021 : राजकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में बिजली के पंखों की व्यवस्था ।

इस योजना में सर्वप्रथम उन कार्यालयों तथा विद्यालयों को लिया जाय जहाँ कमरों के अनुपात में मांग अधिक हो । 80% प्राविधान विद्यालयों के लिए तथा 20% कार्यालयों के लिए किया जाए । यह योजना माध्यमिक शिक्षा की है । अतः इसके लिए केवल जि0वि0नि0 प्राविधान करेंगे । बे0शि0अ0 इसमें प्राविधान न करें ।

योजना संकेत संख्या-60102023 : लघु और छोटे निर्माण कार्यों के लिए रक्षित धनराशि

इस योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष (1982-83) में पूर्व वर्षों की भाँति पूँजीगत मद के लेखा शीर्षक "259-क-सा0निर्माण कार्य-भवन-लघु एवं छोटे निर्माण कार्य हेतु रक्षित धनराशि" के अन्तर्गत रु0 36,000/- का प्राविधान उपलब्ध है। उपलब्ध धनराशि की सीमा के अन्तर्गत सा0नि0वि0 के सम्बन्धित अभियन्ता को सीधे वित्तीय स्वीकृति देकर विभागाध्यक्ष द्वारा अपेक्षित निर्माण कार्य कराया जाता है। पूँजीगत प्राविधान में धन की कमी के कारण जिला स्तर पर लघु एवं छोटे निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था छठवीं योजनाकाल में किया जाना सम्भव न होगा ।

योजना संकेत संख्या - 60102034 : कतिपय विद्यालयों के व्यवसायीकरण की आगामी परियोजना ।

यह योजना आगरा, बरेली, वाराणसी तथा उन्नाव जनपदों में चल रही है । इसमें केवल सततीकरण का ही प्राविधान जिला योजना में होगा ।

योजना संकेत संख्या-60103001 : राजकीय दीक्षा विद्यालयों में पानी की सुविधा एवं बिजली की व्यवस्था हेतु प्राविधान ।

इस योजना में राजकीय दीक्षा विद्यालय, काँठ (मुरादाबाद) तथा सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) में चल रहे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु स्थानीय सा0नि0वि0 के अधिकारियों से परामर्श कर प्राविधान कराना होगा ।

योजना संकेत संख्या -60105001 : राज्य सरकार के संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार ।

प्रौढ़ शिक्षा के दो प्रकार के केन्द्र चल रहे हैं (1) केन्द्रीय योजनान्तर्गत तथा (2) राज्य सरकार के संसाधनों से । इस योजना में राज्य संसाधनों से चल रहे केन्द्रों हेतु ही धन की व्यवस्था जिला योजना में की जायेगी ।

योजना संकेत संख्या- 60106001 : खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा युवक कल्याण हेतु प्राविधान ।

इस योजना में जिला स्तर पर प्रत्येक वर्ष रैली आदि की जाती है । अस्तु जिला योजना में इनके लिए विगत वर्षों में हुए व्यय के आधार पर धन की व्यवस्था करनी होगी ।

योजना संकेत संख्या- 60106002 : पूर्व माध्यमिक एवं उत्तर माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना का प्रसार ।

जनपद के कुछ चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों (बालक/बालिकाओं) में बालचर योजना के विस्तार हेतु रु0 400/- प्रति विद्यालय की दर से अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

विद्यालयों का चयन निम्नलिखित मानक के आधार पर किया जाएगा:-

1- विद्यालय में बालचर योजना का अच्छा कार्य चल रहा हो ।

2- विद्यालय में स्काउटिंग तथा गाइडिंग में प्रशिक्षित एक से अधिक अध्यापक/अध्यापिकायें उपलब्ध हों ।

3- विद्यालय में स्काउटों/गाइडों की कम से कम 32 छात्र/छात्राओं की एक से अधिक टोलियां कार्य कर रही हों तथा उक्त टोलियों का रजिस्ट्रेशन भारत स्काउट/गाइड संस्था, मुख्य कार्यालय स्टेट आर्गेनाइजर कमिश्नर, स्काउट, प्रादेशिक केन्द्र, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ के अन्तर्गत करा लियागयाहो ।

4- विद्यालय को अनुदान दिये जाने की संस्तुति उत्तर प्रदेश, भारत स्काउट तथा गाइड संस्था के जनपद स्तर पर विद्यमान जिला कमिश्नर (स्काउट) तथा जिला कमिश्नर (गाइड) द्वारा प्राप्त हो ।

5- विद्यालय में स्काउटों तथा गाइडों द्वारा स्वयं के लिए यूनीफार्म बना लिए गए हों ।

6- विद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु वर्ष 1982-83 के कार्यक्रम बना लिए गए हों तथा उन कार्यक्रमों का अनुमोदन भारत स्काउट तथा गाइड संस्था के जनपद स्तर के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो ।

7- विद्यालय में स्काउटों तथा गाइडों के लिए स्कार्फ, बोगिल बैज, बैल्ट तथा टो उपलब्ध हो ।

8- जिन विद्यालयों में बाजे की व्यवस्था हो, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है ।

योजना संकेत संख्या- 60108001 : संस्कृत पाठशालाओं को विकास अनुदान ।

विकास अनुदान स्वीकृत करने हेतु निम्नलिखित अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं:-

1- इस अनुदान हेतु मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक (सहायक निरीक्षक संस्कृत पाठशाला के माध्यम से) की स्पष्ट संस्तुति आवश्यक होगी ।

2- अनुदान तथा प्रबन्धकीय अंश का अनुपात 60:40 होगा तथा प्रबन्धक का लिखित आश्वासन कि वह अपना अंशदान देने को तैयार है, आवश्यक होगा ।

3- संस्था का प्रबन्ध सुचारुरूप से चल रहा हो तथा उसकी प्रबन्ध समिति नियमत: गठित हो व उसके लेखा में कोई वित्तीय अनियमितता न हो ।

4- विगत तीन वर्षों में संस्था को याचित मद में कोई अनुदान न मिला हो ।

5- संस्था ने पूर्व वर्षों में स्वीकृत अनार्वतक अनुदानों का उपभोग कर लिया हो तथा उक्त माध्यम से उपभोग प्रमाण-पत्र उप शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत कर दिया हो ।

6- संस्था का गत तीन वर्षों का शास्त्री, आचार्य तथा अन्य सभी कक्षाओं का अलग-अलग परीक्षाफल 50% से कम न हो ।

7- संस्था की छात्रसंख्या गत वर्ष 20 से कम न रही हो (31 मार्च की छात्रसंख्या) ।

8- भवन अनुदान हेतु भवन बनाने के लिए निजी भूमि हो तथा मानचित्र व व्यय विवरण आदि आवेदन-पत्र के साथ संलग्न हो ।

9- प्रत्येक संस्था को शासकीय अनुदान की अधिकतम धनराशि निम्नवत् होगी :-

(1)	भवन	12,000
(2)	सज्जा	1,500
(3)	पुस्तकालय	2,000

10- यह अनुदान शिक्षा विभाग अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय आदि जिससे सम्बद्ध हों, द्वारा मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त संस्थाओं को ही देय होगा ।

11- विद्यालय की प्रशासन योजना स्वीकृत हो ।

12- विद्यालय का अनुदान निलम्बित न हो ।

13- विद्यालय द्वारा कर्मचारियों के वेतन विवरण में कोई गंभीर चूक न की गई हो और विद्यालय विभागीय नियमों का पालन कर रहा हो ।

14- विद्यालय जिस विषय से सम्बद्ध है उसके द्वारा ली गई उस साल अथवा एक साल की परीक्षाफल में सामूहिक परीक्षाफल नकल का दोषी न रहा हो ।

15- विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद न हो तथा अनुशासनहीनता में विद्यालय के छात्र तथा अध्यापकगण भाग न लिये हों ।

16- अनुदान का धन आहरित करते ही जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रतिभूत करके डाकघर में जमा कर दिया जाय ।

17- अनुदान गृहीताओं से शिक्षा संहिता के प्रस्तर 301 के अनुसार अनुबन्ध पत्र भराना आवश्यक होगा ।

(ख) प्रारम्भिक अनुदान

1- पाठशाले की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड हो ।

2- पाठशालों का अनुशासन संतोषजनक हो ।

3- पाठशाले में कोई प्रबन्धकीय झगड़ा न हो तथा उसके विरुद्ध कोई शिकायत न हो ।

4- पाठशाले की 31 मार्च (चालू वर्ष के पूर्व) की छात्र संख्या 15 से कम न हो । (प्रवेशिका तथा प्राइमरी को छोड़कर)

5- पाठशाले का चालू वर्ष का परीक्षाफल 35% से कम न हो ।

6- पाठशाले को स्थाई मान्यता प्राप्त हो तथा मान्यता के वर्ष का उल्लेख हो ।

7- छात्रसंख्या एवं परीक्षाफल का विवरण आदि उन्हीं कक्षाओं का मान्य होगा जिसके लिए वह मान्यता प्राप्त है ।

योजना संकेत संख्या -60108003 : अरेबिक मदरसों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान।

इस योजना में तीन प्रकार के अनुदान देने की व्यवस्था है ।

1- 79-80 से अनुदान सूची पर लाए गए मदरसों को अनुरक्षण अनुदान ।

2- प्रारम्भिक अनुदान तथा (3) विकास अनुदान । अन्तिम दो श्रेणी के लिए निर्धारित अर्हताएं निम्नवत् हैं:-

(क) प्रारम्भिक अनुदान

1- मदरसे की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड हो ।
2- मदरसे का अनुशासन संतोषजनक हो ।

3- मदरसे में कोई प्रबन्धकीय झगड़ा न हो तथा उसके विरुद्ध कोई शिकायत न हो ।
4- मदरसे की 31 मार्च (चालू वर्ष के पूर्व) की छात्रसंख्या 15 से कम न हो ।

(तहतानिया व फोनिया को छोड़कर)

5- मदरसे का चालू वर्ष का परीक्षाफल 50% से कम न हो ।

6- मदरसा स्थायी मान्यता प्राप्त हो तथा मान्यता के वर्ष का उल्लेख हो ।

(ख) विकास अनुदान

1- इस अनुदान हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति आवश्यक होगी ।

2- अनुदान तथा प्रबन्धकीय अंश का अनुपात 60:40 होगा तथा प्रबन्धक का लिखित आश्वासन कि वह अपना अंशदान देने को तैयार है, आवश्यक होगा ।

3- संस्था का प्रबन्ध सुचारुरूप से चल रहा हो तथा उसकी प्रबन्ध समिति नियमत: गठित हो या उसके लेखा में कोई वित्तीय अनियमितता न हो ।

4- विगत तीन वर्षों में संस्था को याचित मद में कोई अनुदान न मिला हो ।

5- संस्था ने पूर्व वर्षों में स्वीकृत अनावर्तक अनुदानों का उपभोग कर लिया हो तथा उचित माध्यम से उसे शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत कर दिया हो ।

6- संस्था का गत तीन वर्षों का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न हो ।
7- संस्था की छात्र संख्या गत वर्ष 20 से कम न रही हो ।

8- भवन अनुदान हेतु भवन बनाने के लिए निजी भूमि हो तथा मानचित्र व व्यय विवरण आदि आवेदन पत्र से संलग्न हो ।

9- प्रत्येक संस्था को शासकीय अनुदान की अधिकतम धनराशि निम्नवत् होगी:-

1-	भवन	12,000
2-	सज्जा	1,500
3-	पुस्तकालय	2,000

10- यह अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त व सहायता प्राप्त संस्थाओं को ही देय होगा ।

11- विद्यालय की प्रशासन योजना स्वीकृत हो ।

12- विद्यालय का अनुदान निलम्बित न हो ।

13- विद्यालय द्वारा कर्मचारियों के वेतन वितरण में कोई गंभीर चूक न की गई हो और विभागीय नियमों का पालन कर रहा हो ।

14- विद्यालय जिस विषय से सम्बद्ध है उसके द्वारा ली गई उस साल अथवा एक साल पूर्व की परीक्षा में सामूहिक नकल का दोषी न रहा हो ।

योजना संकेत संख्या - 60108005 : राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के भवनों का निर्माण विस्तार एवं विद्युतीकरण ।

इस योजना में राजकीय संस्कृत पाठशाला ज्ञानपुर तथा चकिया (वाराणसी) में चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा कराने हेतु स्थानीय सा0नि0वि0 अधिकारियों से परामर्श कर धन की व्यवस्था करनी होगी ।

योजना संकेत संख्या - 60110001 : वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये जिला पुस्तकालयों की स्थापना ।

इस योजना में वर्तमान पुस्तकालयो को सुदृढ़ करने की ही व्यवस्था वर्ष 1982-83 में की गई है । पुस्तकालयों को आवश्यकतानुसार साज सज्जा तथा पुस्तकें दी जानी है ।

योजना संकेत संख्या - 60110002 : सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान ।

यह योजना शासन स्तर से व्यवहृत होती है । इसके मानक बाद में भेजे जायेंगे ।

5 - वार्षिक योजना का निर्माण

प्रत्येक वर्ष की योजना में 3 प्रकार की मदें शामिल की जाती है -

(1) चालू इकाई (विगत वर्ष तक के चल रहे कार्यक्रमों, पदों, आदि का वचनबद्ध व्यय),

(2) नई इकाई (योजनान्तर्गत कार्यक्रम का विस्तार), तथा

(3) नये कार्यक्रम (नई मांगो के प्रस्ताव)। इनके बारे में स्थिति निम्नवत् है :-

(1) चालू इकाई

पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष सभी कार्यक्रम, केवल चालू निर्माण कार्यों को छोड़कर, नये होते है। दूसरे वर्ष में प्रथम वर्ष में आरम्भ किये गए कार्यक्रम चालू कार्यक्रम या चालू इकाई के रूप में माने जाते है। इसी प्रकार जब तक योजनावधि समाप्त नहीं हो जाती है हर वर्ष पथम वर्ष के बजट वर्ष से पहले वर्ष तक के कार्यक्रम चालू इकाई माने जाते है। छठी योजना, जो 1980-81 से प्रारम्भ हुई है, में वर्ष 1979-80 में प्रारम्भ किये कार्यक्रमों को भी विशेष परिस्थिति में छठी योजना का अंग माना गया है। वर्ष 1983-84 की योजना में वर्ष 1979-80 से 82-83 तक स्वीकृत विद्यालय, पदों आदि के वचन बद्ध व्यय के लिए ही प्राविधान करना होगा। वचनबद्ध व्यय में पूरे वर्ष का वेतन, महँगाई भत्ता, अन्य भत्ते, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, पेट्रोल व्यय, टेलीफोन पर व्यय आवर्तक अनुदान ही आते है। इनमें अनावर्तक व्यय या अनुदान नहीं सम्मिलित किये जाते है।

(2) नई इकाई

नई इकाई में कार्यक्रम का विस्तार दिया जाता है। कार्यक्रम के विस्तार के लिए प्राविधान उन्हीं पदों/मदों के लिए किया जाता है जिनकी स्वीकृति नई मांगों द्वारा पहले प्राप्त हो गई होती है। उदाहरणार्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की योजना मे छठी योजना के लिए 6000 विद्यालयों का लक्ष्य अनुमोदित किया गया है। वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक 2000 विद्यालय खुल चुके है। अतः योजना के शेष वर्ष 1983-84 तथा 84-85 में 4000 विद्यालय खोलने अपेक्षित है। वर्ष 1983-84 में इन्हीं 4000 विद्यालयों में से ही लक्ष्य प्रस्तावित करने होंगे। विद्यालय जुलाई से ही प्रारम्भ होते है अतः नये विद्यालयों के लिए प्राविधान आठ माह का ही करना होगा। अन्य कार्यालय पदों, निरीक्षक आदि के लिए भी उक्त के अनुसारया इससे अधिक समय का प्राविधान किया जाता है। बजट वर्ष अप्रैल से प्रारम्भ होता है। अतः प्राविधान अधिक से अधिक 11 माह का ही हो सकता है। प्रायः प्रस्ताव भेजने, स्वीकृत आने तथा नियुक्ति होने में समय लग जाता है।

अत: इन पदों के लिए प्रथम वर्ष 10माह का प्राविधान करना ही समीचीन होगा । प्राविधान उन सभी मदों के लिए करना होगा जिनकी विगत वर्षों में स्वीकृति मिल चुकी है जैसे यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि । इसके अतिरिक्त साज सज्जा आदि अनार्वतक व्यय का भी प्राविधान विगत वर्षों में स्वीकृत नये विद्यालय, पदों, आदि की भांति किया जायगा ।

13) नई मदें (नयी मांगों के प्रस्ताव) वह होती हैं जिनकी पूर्व स्वीकृति उपलब्ध नहीं है । इनके विषय में पृथक से आगे विवरण दिया जा रहा है ।

वार्षिक योजना में उक्त प्रकार की मदों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की सहायता से चल रही योजना के लिये भी राज्य अंश हेतु धनराशि प्रस्तावित करनी होगी । इस समय जो योजना संचालित है, वह है 6-14 वय-वर्ग के बच्चों के लिये अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना । इसके अंतर्गत पुराने चल रहे केन्द्रों और नये खुलने वाले केन्द्रों पर हो रहे/होने वाले समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में बँट जाते है । अत: जनपद में इन योजनाओं पर होने वाला समस्त व्यय जो 83-84 के लिये आगणित करें उसका आधा राज्य योजना के परिव्यय के अन्तर्गत रखें और शेष आधा केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के लिये निर्धारित अलग प्रपत्र में केन्द्रीय अंश के अंतर्गत दिखायें ।

संक्षेप में, 83-84 की योजना-निर्माण में निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाय :-

(क) जिले की शिक्षा विभाग की योजनाओं के लिये परिव्यय ज्ञात होने पर सर्वप्रथम बचनवद्ध व्यय का आगणन कर लिया जाय । इस हेतु आवर्तक योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक स्वीकृत पदों पर व्यय नये वेतनमानों, महंगाई भत्ता आदि के अनुसार ही आगणित किया जाय । केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के राज्य अंश को भी आगणित कर लिया जाय । यदि पूंजीगत योजनायें भी आपके जिले में चल रही है तो उनके लिये भी अगले वर्ष हेतु धनराशि निर्माण कार्य की स्थिति के अनुसार रखी जाय ।

(ख) इस प्रकार बचनवद्ध व्ययका आगणन करने के पश्चात् जो धनराशि बचे उसे चालू योजनाओं के अन्तर्गत सर्वप्रथम नये स्कूल खोलने हेतु (नयी इकाई के लिये-विस्तार के लिये) आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जाय । इसी प्रकार नये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिये आवश्यक धनराशि प्रस्तावित की जाय । बुक बैंक और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं में भी आवश्यकतानुसार धनराशि रखी जाय ।

(ग) बचनवद्ध व्यय और उपर्युक्त चालू योजनाओं में नई इकाई के लिये धनराशि प्रस्तावित करने के बाद जो धनराशि बचे उसे अन्य अनार्वतक योजनाओं में लगाया जाय ।

(घ) नई मांगों के प्रस्ताव भी दिये जा सकते हैं परन्तु इसके लिए धनराशि प्रस्तावित करने के साथ ही प्रपत्र 3 में नयी मांग का पूर्ण प्रस्ताव भेजा जाय।

(ङ) यह ध्यान में रखा जाय कि चालू एवं नई इकाई हेतु धनराशि मानक के अनुसार यूनिट कास्ट आगणित कर वास्तविक होनी चाहिये। आर्थिक परिव्यय और भौतिक लक्ष्य विवेक पूर्ण और यथार्थिक होने चाहिए।

इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि यद्यपि जिला योजनाओं के निर्माण में जिलों की आवश्यकताएं तथा उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी चाहिये, [illegible] तथापि राष्ट्रीय एवं राज्य सम्बन्धी प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखते हुये जिलों की आवश्यकताओं, संभावनाओं एवं क्षमताओं के अनुरूप जिला योजना प्रस्तावित की जानी चाहिए।

अन्त में योजना के सम्मुख दी जाने वाले धनराशि की "इकाई" की ओर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। विदित होगा कि जिलास्तरीय योजनाओं के सम्मुख लिखी जाने वाली धनराशि "हजार रुपये में" लिखनी होती है। प्राय: देखने में आया है कि यदि किसी परियोजना की धनराशि 2,34,567 रु० है तो उसे " हजार में " कोई जिला 235, कोई 234·6 कोई 234·57 एवं कोई 234·567 लिखकर भेजता है। निकटतम हजार में देने के आदेश के अनुरूप उपरोक्त में 235 सही है। अत: हजार के बाद दशमलव लगाकर धनराशि को हजार के बजाय सैकड़े, दहाई या इकाई तक कदापि न दिया जावे। इससे न केवल "धनराशि" की संख्या छोटी होने के कारण जोड़ने घटाने में अत्यन्त आसानी होगी वरन् पुस्तिका में तालिकाओं के चक्र- मुद्रण में भी आसानी होगी। उदाहरण के लिए, हजार में धनराशि कैसे लिखी जायेगी, इसका विवरण निम्नवत् है :-

योजना क्रम संख्या	योजना के लिये जिले द्वारा आगणित धनराशि (रुपये में)	तदनुसार योजना के सम्मुख लिखी जाने वाली धनराशि (हजार रु०में)
60101001	34,21,625	34,22
60101004	5,424	5
60101014	725	1
60101015	4,00,325	4,00
60101017	34,589	35
60101018	1,498	1

संक्षेप में, पूर्णांक में आगणित धनराशि के सैकड़े के स्थान पर यदि 5 से कम संख्या है तो उसे छोड़ दीजिये और 5 या उससे ऊपर की संख्या है तो उसके लिये हजार में एक जोड़कर लिख दीजिये।

6 - नई मांगों का प्रस्ताव

आय व्ययक में दो प्रकार की मदों का प्राविधान किया जाता है - प्रथम चालू मदों/परियोजनाओं का तथा द्वितीय नई मदों/परियोजनाओं का नई मदों का आय व्ययक में प्राविधान नई मांगों (शेड्यूल आफ न्यू डिमान्ड्स) द्वारा किया जाता है। इसके लिए शासन ने एक प्रपत्र निर्धारित किया है जिसे प्रपत्र 3 की संज्ञा दी गयी है। यह प्रस्ताव सचिवालय के सम्बन्धित प्रशासकीय अनुभाग के माध्यम से वित्त विभाग को विलम्बतम नवम्बर तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए।

प्रपत्र- 3 में 11 मदें निर्धारित की गई हैं। इनमें प्रमुख मदों, जिनका ही अधिकांश प्रयोग होता है, को किस प्रकार बनाना चाहिए के बारे में उदाहरण सहित विवरण निम्न अनुच्छेद में दिया जा रहा है। मदों की क्रम संख्या इसी के अनुसार ही दिखाई गई है।

नई मांगों के प्रस्ताव में सर्वप्रथम अनुदान संख्या, प्रस्ताव आयोजनागत है अथवा आयोजनेत्तर तथा मद अथवा योजना का नाम लिखा जाता है। इसके बाद योजना का संक्षिप्त विवरण तथा प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों का विवरण होता है। संक्षिप्त विवरण में प्रासंगिक मद/परियोजना के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति तथा तदनुसार योजना की आवश्यकता का उल्लेख करना होता है। उदाहरण के लिए " जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पदों का सृजन " नामक परियोजना की सूचना निम्नवत् बनाई जायगी :-

प्रपत्र - 3

नई मांगों का प्रस्ताव

अनुदान संख्या 55 — आयोजनागत

(277-शिक्षा)

1- योजना का नाम :- जिला बालिका विद्यालय-निरीक्षिका के पदों का सृजन (संकेत संख्या - 60107002)

2- संक्षिप्त विवरण :- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यद्यपि बालिका शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है परन्तु अभी भी इस विषय में काफी कार्य अपेक्षित हैं। बालिका शिक्षा के विकास के फलस्वरूप बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इन विद्यालयों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण आदि हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद जहाँ बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की संख्या 30 या इससे अधिक है, में बालिका विद्यालय निरीक्षिका का पद सृजित किया जाय। यह अनुमान है कि छठी योजनावधि में 10 जनपदों में उक्त पद मानक के अनुसार सृजित करते होंगे। तदनुसार

"बालिका"

जिला विद्यालय निरीक्षिका के 10 पद तथा प्रत्येक कार्यालय हेतु एक प्रधान लिपिक, एक आशुलिपिक, दो टीपालेखक, 2 लिपिक, 1 दफ्तरी तथा 3 चपरासियों के पद सृजित करने की प्रस्तावना है । वर्ष 1980-81 में 2 जनपदों में उक्त पद सृजित करने का निश्चय किया गया है । इस सम्बन्ध में योजनावधि में ... ... हजार रु0 तथा वर्ष 1980-81 में ....हजार रु0 की आवश्यकता होगी ।

3- उद्देश्य और लाभ :

बालिका शिक्षा का विकास

उत्पादन/लाभ सम्बन्धी कार्यक्रम

मद	इकाई	छठी योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए विभाजन 80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	योग
जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका	संख्या	2	2	2	2	2	10

चौथी मद में व्यय के अनुमान दिए जाते हैं । इस विवरण में धनराशि पूरी संख्या में नहीं वरन् हजार रु0 में दिखाई जाती है । 1,15,672 तथा 12,14,112 की धनराशियां क्रमश: 1,16 तथा 12,14 दिखाई जायगी । इस विवरण के तीन भाग हैं :- (क) कुल परिव्यय (इसमें योजनावधि का व्यय दिखाया जाता है) (ख) अन्तिम आवर्तक व्यय (इसकी धनराशि का आगणन प्रस्तावित पदों के वेतनक्रम की अधिकतम धनराशि, उस पर महगाई भत्ता आदि को जोड़ कर 12 से गुणाकर उसमें पूरे वर्ष के लिए प्रस्तावित यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि की आवर्तक मदों को जोड़ कर दिया जाता है) तीसरी मद में वर्षवार विवरण दिया जाता है । इसका उदाहरण निम्नवत् है :-

4- व्यय के अनुमान (हजार रु0 में)

(क) कुल परिव्यय (1980-85) 1807

(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय 1180

(ग) व्यय का वर्षवार विभाजन

वर्ष	आवर्तक	अनावर्तक	योग
1980-81	81	20	101
1981-82	208	20	228
1982-83	339	20	359
1983-84	471	20	491
1984-85	608	20	628

पाँचवी मद में व्यय का विभाजन दिखाया जाता है। इसके तीन भाग है (1) पदों का विवरण (2) निर्माण कार्य विवरण तथा (3) साज सज्जा का विवरण। यह निम्नवत् भरे जायेंगे :

5- व्यय का विभाजन
(क) अपेक्षित कर्मचारी वर्ग

क्रम सं0	वर्ग	वेतन क्रम	80-81 सं0	80-81 धनराशि	81-82 सं0	81-82 धन राशि	82-83 सं0	82-83 धन राशि	83-84 सं0	83-84 धन राशि	84-85 सं0	84-85 धन राशि
1-	जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका	850-1720	2	14	4	35	6	57	8	80	10	104
2-	प्रधान लिपिक	515-860	2	8	4	21	6	34	8	47	10	61
3-	आशुलिपिक	470-735	2	8	4	19	6	31	8	43	10	56
4-	टीपालेखक	430-685	2	7	4	17	6	28	8	39	10	50
5-	लिपिक	354-550	2	6	4	15	6	24	8	33	10	42
6-	दफ्तरी	315-440	2	5	4	13	6	21	8	29	10	37
7-	चपरासी	305-390	2	5	4	12	6	19	8	26	10	33
	योग		14	53	28	132	42	214	56	297	70	383

(ख) भवन

इसकी इसमें आवश्यकता नहीं है । निर्माण कार्यों का अलग नई मांगों का प्रस्ताव बनाया जाता है जिसमें मद 4 के बाद मद 5 नहीं दिया जाता है । इसमें निर्माण कार्य, कुल लागत तथा इसका वर्ष वार विभाजन दिया जाता है ।

(ग) सज्जा/भंडार/मशीन/गाड़ियों इत्यादि के स्थूल ब्योरे

मद	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85
साज सज्जा, टंकण मशीने आदि	20	20	20	20	20

उल्लिखित मद 3, 4 तथा 5 की आयोजनागत पक्ष में सूचना परियोजना प्रारम्भ करने के वर्ष से योजना के अन्तिम वर्ष तक दी जाती है अर्थात् 80-81 की सूचना 5 वर्ष 81-82 की 4 वर्ष तथा इसी प्रकार अन्य वर्षों की दी जायगी । आयोजनेत्तर पक्ष में उक्त सूचना अन्तिम आवर्तक व्यय को छोड़कर एक वर्ष की होगी । अनुदान की योजनाओं/मदों में मद 5 की सूचना नहीं दी जायगी ।

नई मांगो के प्रस्ताव की अन्तिम मद आय व्ययक वर्ष के लिए प्रस्तावित धनराशि से है । इसमें पहले आय व्ययक शीर्षक, उप शीर्षक दिखाया जाता है । आयोजनागत पक्ष में इसके लिए अतिरिक्त योजना का नाम भी दि या जाता है । इसमें दी गई धनराशि अनुवर्ती मदों मे उल्लिखित धनराशि से अवश्य मिलनी चाहिए । इसका दृष्टान्त निम्न विवरण मे दिया गया है ।

6- वर्ष 1980-81 के आय व्ययक में व्यवस्थित धनराशियों का शीर्षकों के अनुसार विभाजन

277-शिक्षा-आयोजनागत-(ख) माध्यमिक शिक्षा- 1- निरीक्षक-जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पदों का सृजन (सं0सं0 60107002)

1-	वेतन	53
2-	महंगाई भत्ता	16
3-	यात्रा भत्ता	2
4-	कार्यालय व्यय	5
5-	टेलीफोन पर व्यय	5
6-	मशीने एवं उपकरण	20
		101

अनुदान की मदों/परियोजनाओं में बजट शीर्षक के बाद उक्त विवरण न देकर केवल सहायक अनुदान लिख कर उसके सम्मुख धनराशि लिखाई जाती है ।

अब नई मांगों के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का विस्तार से विवेचन कि या गया है परन्तु इस संबंध में यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि किसी भी नये कार्यक्रम को प्रस्तावित करते समय विभिन्न विकल्पों पर सावधानी से विचार किया जाय । जो कार्यक्रम प्रस्तावित किये जांय उसके उद्देश्यों के बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिये । उसके अंतर्गत कौन से क्रियाकलाप होंगे उसको भी परिकल्पित कर लिया जाय । उस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की क्या रणनीति होगी उसको भी निर्धारित कर लेना उपयुक्त होगा । कार्यक्रम के प्रस्ताव के साथ ही उसके मूल्यांकन एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी स्पष्ट करनी होगी ।

1 -- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नवीन 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार करने तथा वयस्क लोगों के मध्य व्याप्त निरक्षरता को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा दूर करने के लिए निश्चित किया गया है । इस परिपेक्ष्य में भारत सरकार ने हाल ही में जो निर्णय लिया है उनके फलस्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का न केवल विस्तार होने जा रहा है अपितु यह कार्यक्रम काफी बड़े पैमाने पर अब चलाया जाना लगभग निश्चित सा हो गया है । 1981 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार प्रदेश में 15-35 वयवर्ग के निरक्षर व्यक्तियों की संख्या लगभग 203 लाख है । भारत सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 1990 तक उपरोक्त वय वर्ग के सभी निरक्षरों को साक्षर बनाया जाय । इस समय प्रदेश के केवल 44 जनपदों में राज्य सरकार की एजेन्सी द्वारा 300 केन्द्रों की 35 परियोजनायें और 100 केन्द्रों की 11 परियोजनायें संचालित की जा रही हैं । भारत सरकार ने वर्ष 1982-83 में प्रदेश को 300 केन्द्रों की 13 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनायें और स्वीकृत करने का निर्णय लिया है । इनके प्रारम्भ हो जाने पर प्रदेश में सभी जनपदों में राजकीय एजेन्सी के द्वारा 300 केन्द्रों की 48 परियोजनायें और 100 केन्द्रों की 11 परियोजनायें संचालित हो जायेंगी जिनके अन्तर्गत अब कुल 15,500 केन्द्र चलेंगे और 4,65,000 निरक्षर व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा ।

- उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के 2 कार्यक्रम संचालित हैं । एक ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, भारत सरकार के संसाधनों से संचालित है तथा दूसरा कार्यक्रम राज्य सरकार के संसाधनों से चलाया जा रहा है । राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर योजना की सूची में जिला सेक्टर की योजना-राज्य सरकार के संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार (योजना संख्या-6010500) शासन की नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला योजना के रूप में सम्मिलित की गई है ।

राज्य अंश से संचालित उपर्युक्त योजना प्रदेश के 13 जनपदों यथा - 1- अलीगढ़, 2- उन्नाव, 3- गोण्डा, 4- गोरखपुर, 5- नैनीताल, 6-फतेहपुर, 7-फर्रुखाबाद 8- मुजफ्फरनगर, 9- मुरादाबाद, 10- हमीरपुर, 11-. हरदोई (प्रत्येक जनपद में 100 केन्द्र) तथा 12- बाराबंकी (300 केन्द्र) और 13- सुल्तानपुर (300 केन्द्र) में चल रही है ।

वर्ष 1982-83 में इस योजना हेतु 46•36 लाख का प्राविधान है । वर्ष 1983-84 में जिन जनपदों में 100 केन्द्रों की योजना चल रही है उन्हें 300 केन्द्रों में परिवर्तित कर राज्य अंश से कुल 13 जनपदों में 300 केन्द्रों की योजना चालू इकाई के रूप में सम्मिलित की गई है, जिसके लिए वर्ष 83-84 में 63•76 लाख रु0 का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव है ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1983-84 में 19 नये जनपदों में नई इकाई के रूप में (नयी मांगों के प्रस्ताव के रूप में) योजना कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर उक्त वर्ष में 116•94 लाख रु0 व्यय होने का अनुमान है । जिला योजना के रूप में जिन 13 जनपदों में यह योजना अभी चल रही है, तथा जिन 19 जनपदों में यह योजना वर्ष 1983-84 में चलाये जाने का प्रस्ताव है उनके सम्बन्ध में भेजे गये विवरण के अनुसार जनपदवार अनुमानित व्यय का लेखा भी संलग्न सूची में दिया हुआ है । इन प्रत्येक जनपद के सम्मुख जितनी धनराशि चालू अथवा नई योजना के रूप में दर्शायी गयी है, उतनी धनराशि जिला स्तर पर योजना तैयार करते समय प्राविधान करा लिया जाना है ।

राज्य संसाधनों से संचालित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना

योजना संकेत सं0 - 6010@001

क्रम सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	चालू इकाई हेतु वर्ष 1983-84 का आय व्ययक अनुमान (हजार रुपयों में)	नई इकाई हेतु वर्ष 1983-84 का आय व्ययक अनुमान (हजार रुपयों में)
1	2	3	4	5
1-	बाराबंकी		680	-
2-	सुल्तानपुर		680	-
3-	उन्नाव		456	-
4-	फतेहपुर		456	-
5-	हमीरपुर		456	-
6-	अलीगढ़		456	-
7-	मुरादाबाद		456	-
8-	मुजफ्फरनगर		456	-
9-	हरदोई		456	-
10-	फर्रुखाबाद		456	-
11-	गोण्डा		456	-
12-	गोरखपुर		456	-
13-	(रामगढ़) नैनीताल		456	-
14-	सहारनपुर		-	616
15-	मेरठ		-	616
16-	बुलन्दशहर		-	616
17-	आगरा		-	616
18-	मैनपुरी		-	616
19-	मथुरा		-	616
20-	बरेली		-	616
21-	बदायूँ		-	616
22-	रामपुर		-	616
23-	इलाहाबाद		-	615
24-	कानपुर		-	615
25-	इटावा		-	615
26-	झांसी		-	615
27-	बांदा		-	615
28-	जालौन		-	615
29-	वाराणसी		-	615
30-	मिर्जापुर		-	615
31-	गाजीपुर		-	615
32-	देवरिया		-	615
	पूर्ण योग		6376	11694

8.— विशेष समन्वित योजना – स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

उत्तर प्रदेश में जनगणना के आधार पर अनुसूचित-जाति की संख्या समस्त भारतवर्ष में सबसे अधिक है और देश की अनुसूचित- जाति की जनसंख्या की लगभग 25 प्रतिशत है। इतनी बड़ी जनसंख्या सदियों से निम्न स्तर व गरीबी का जीवन व्यतीत करती रही है और इसका एक बहुत बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे है। वर्णित परिस्थितियों में भारतवर्ष की प्रधानमंत्री ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ऐसे 50 प्रतिशत परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठायाजाय। उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक वर्ष विभिन्न विभागों की परियोजनाओं के परिव्यय को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उससे इन पिछड़ी जातियों का शैक्षिक, सामाजिक और विशेष रूप से आर्थिक स्तर ऊंचा हो।

प्रदेश में अनेक ऐसे विकास खण्ड हैं जिनमें हरिजनों की जनसंख्या समस्त जनसंख्या के अनुपात में काफी अधिक है। इन्हें हरिजन बाहुल्य विकास खण्ड की संज्ञा दी गयी है और इस समय ऐसे घोषित 294 विकास खण्डों की जनपदवार सूची आगे दी गयी है। इन विकास खण्ड विशेष में हरिजनों के सर्वांगीण विकास के लिये परियोजनाओं का सघन कार्यक्रम विशेष बल देकर चलाना वान्छनीय है। सुविधा के लिये उत्तर प्रदेश हेतु निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा विमुक्त जातियों की सूची भी सुलभ संदर्भ हेतु आगे दे दी गयी है।

वार्षिक योजना में कुछ परियोजनाएं (स्कीम्स) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अंतर्गत रखी गयी है जिनका विवरण आगे है। इस संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करना है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में जो योजनाएं रखी गयी हैं वे कोई पृथक योजनाएं नहीं हैं, न उनके लिये पृथक से परिव्यय ही रखा जाता है वरन् जो योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं उन्हीं में से कुछ योजनाओं के अंतर्गत 30, 40 या उससे अधिक प्रतिशत के आधार पर कुछ निश्चित धनराशि अनुसूचित जातियों के लिये मात्राकृत (क्वांटिफाईड) कर दी गयी है। सामान्य रूप से यह सिद्धान्त अपनाया जा सकता है कि जो योजनाएं विभाजित की जा सकती हैं उनमें लगभग 40 प्रतिशत का लाभ अनुसूचित जातियों को दिया जाय, उदाहरण के रूप में किसी जनपद में यदि 10 विद्यालय खोलें जाने हैं तो सामान्यतः 4 विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में खोले जाय जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों की अपेक्षाकृत अधिकता हो। इसी प्रकार यदि हमें 10 विद्यालय भवनों का निर्माण करना है तो प्रयत्न यह किया जाय कि वरीयता क्रम में कम से कम 3 या 4 स्थान का लाभ जहाँ अनुसूचित जाति के लोग अपेक्षाकृत अधिक हों को दिया जाय। इसी

क्रम में यह भी कहा जा सकता है कि यदि हमें निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किया जाना है, छात्र/छात्राओं को स्कूल यूनीफार्म देनी है या ऐसे ही अन्य छात्र कल्याणकारी योजनाएं संचालित रखनी हैं, उनमें अधिकाधिक लाभ अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को दिया जाना है ।

यह भी सत्य है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अनुसूचित जातियों के लिये है । उसके अन्तर्गत किया गया धनराशि का मात्राकरण का लाभ उन्हीं को मिलना चाहिये । मात्राकृत धनराशि को यथासंभव यह प्रयत्न किया जाता है कि उसे बजट शीर्षक " 288- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण " के अन्तर्गत पृथक रूप से अंकित कर दियाजाय । परन्तु बहुधा बजट शीर्षक का पृथक अंकन मात्राकृत धनराशि का नहीं हो पाता । अतः यह ध्यान में रखा जाना है कि चाहे किसी परियोजना में अनुसूचित जाति के लिये पृथक से बजट शीर्षक 288 में धनराशि अंकित हो या न हो हमें न्यूनतम 40 प्रतिशत का लाभ विभिन्न परियोजनाओं में जो विभाजित की जा सकती हैं अनुसूचित जातियों को लाभान्वित करें ।

यह भी सत्य है कि अनुसूचित जाति के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत धनराशि का मात्राकरण कर देना ही पर्याप्त नहीं है वरन् यह भी निश्चित किया जाना है कि इनका लाभ वास्तविक अर्थों में उन्हें प्राप्त हो रहा है । दूसरे शब्दों में, जो स्कूल मात्राकृत धनराशि के अंतर्गत खोले जा रहे है वे अनुसूचित जाति बहुल स्थान पर ही खुल रहे है । अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को स्कूलों मे अधिकाधिक स्थान में प्रवेश भी कराये जाने की आवश्यकता है । यह भी आवश्यक है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के कार्यक्रम को विशेष गति दी जाय और उसके अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़ता से कार्यान्वयन किया जाय । इस प्लान की सफलता तभी है जब सभी इसमें निष्ठा और रुचि से कार्य करें ।

विशेष सम्मिलित योजना - स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं का विवरण निम्न है :-

क्रम सं0	जिला योजना संख्या	योजना का नाम
(1)	(2)	(3)
	प्रारम्भिक शिक्षा	
1-	60101004	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों में भवन रहित जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान
2-	60101005	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रों के सी0बे0 स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान
3-	60101006	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जू0बे0 विद्यालय खोलने हेतु अनुदान
4-	60101007	नगर क्षेत्रों में मिश्रित जू0बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान
5-	60101008	जू0बे0 स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान
6-	60101009	ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रसंख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु बालिकाओं तथा निर्बल वर्ग के बालकों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरणार्थ प्रोत्साहन अनुदान
7-	60101010	ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों तथा बालिकाओं के सी0बे0 स्कूल खोलने हेतु अनुदान
8-	60101011	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वह वर्ग 6-14 के बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षाएं खोलने हेतु अनुदान
9-	60101015	अनुसूचित जातियों के पूर्व माध्यमिक कक्षाओं तक के बालक/बालिकाओं को छात्र वृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता
10-	60101016	पिछड़ी जाति के पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक आर्थिक सहायता
11-	60101022	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु सी0बे0 स्कूलों में पाठ्यपुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान
12-	60101024	ग्रामीण क्षेत्रों के सी0बे0 स्कूलों के लिए साज सज्जा/शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान
13-	60101025	जूनियर बेसिक स्कूलों में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान
14-	60101026	निर्बल वर्ग के बच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था
15-	60101030	सीमान्त जिलों तथा टेहरी में आदर्श विद्यालय खोलने हेतु अनुदान
16-	60101031	वर्तमान जू0 एवं सी0 बे0 स्कूलों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु अनुदान
17-	60101033	छात्र संख्या अनुपात को कम करने हेतु जू0 बे0 तथा सी0बे0 स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनुदान

क्रम सं0	जिला योजना संख्या	योजना का नाम
18-	60101034	सी0 वे0 स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान
	माध्यमिक शिक्षा	
19-	60102003	राजकीय सी0वे0 स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नति तथा नए राजकीय हाई स्कूल का खोलना
20-	60102004	राजकीय हाईस्कूलों का इंटर स्तर पर उच्चीकरण
	प्रौढ़ शिक्षा	
21-	60105001	राज्य सरकार के संसाधनों से ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता योजना का विस्तार

9 – स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सर्वेक्षण हेतु चयनित विकास खण्ड

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्षवार चयनित विकास खण्डों के नाम 1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
1–	देहरादून	1– सहसपुर	–	2– डोईवाला
2–	टेहरी गढ़वाल	1– जौनपुर	–	2– पजोली
3–	गढ़वाल	1– पौढ़ी	–	2– दुगड्डा
4–	उत्तर काशी	1– पुरौला	–	2– डूण्डा
5–	चमोली	1– चमोली	–	2– [illegible]
6–	नैनीताल	1– रामनगर	–	2– [illegible]
7–	अल्मोड़ा	1– ताकुला	–	2– ताड़ीखेत
8–	पिथौरागढ़	1– गंगोलीहाट	–	2– धारचूला
9–	बरेली	1– रामनगर	2– भुता (कुआडांडा)	3– आलमपुर
10–	शाहजहाँपुर	1– पवायाँ	2– भावलखेड़ा	3– [illegible]
11–	बदायूँ	1– अम्बियापुर	2– बिसौली	3– जगत
12–	पीलीभीत	1– पूरनपुर	2– बिलसण्डा	3– मरौरी
13–	मुरादाबाद	1– कारोटा	2– बनिया खेड़ा	3– जोया 4– सम्भल
14–	बिजनौर	1– कीरतपुर	2– कोतवाली 3– नजीबाबाद 4– मोहम्मदपुर देवमल 5– धामपुर	6– नूरपुर
15–	रामपुर	1– शाहाबाद	2– मिलक	3– सुआर
16–	सहारनपुर	1– बलिया खेड़ी	2– देवबन्द 3– मुजफ्फराबाद 4– नौरसन 5– पुवारका	6– रामपुर मनिहारन 7– नागल 8– ननौता 9– बहादुराबाद
17–	मुजफ्फरनगर	1– पुरकाजी	2– खतौली	3– जानसठ 4– थानाभवन 5– चरथावल

क्रम सं0	जनपद का नाम	वर्षवार चयनित विकास खण्डों के नाम		
		1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
18-	मेरठ	1- मेरठ	2- हस्तिनापुर 3- रजपुरा	4- दौराला 5- मवाना
19-	गाजियाबाद	1- भोजपुर	2- हापुड़	3- लोनी
20-	बुलन्दशहर	1- खुर्जा	2- जेवर 3- बुलन्दशहर 4- सिकन्दराबाद	5- पहासू 6- अनूपशहर
21-	अलीगढ़	1- लोधा	2- धनीपुर 3- हाथरस	4- सिकन्दराराऊ 5- सासनी 6- जवां 7- खैर 8- गोंडा 9- टप्पल
22-	मथुरा	1- फरह	2- मथुरा	3- बल्देव
23-	मैनपुरी	1- किसनी	2- बेवर	3- शिकोहाबाद 4- मदनपुर
24-	आगरा	1- कोटला	2- टूण्डला 3- खेरागढ़	4- बरौलीअहीर
25-	इलाहाबाद	1- कौंधियारा 2- मेजा 3- शंकरगढ़	4- चाका 5- कौराव 6- हण्डिया 7- सिराथू 8- बहादुरपुर	9- मूरतगंज 10- सोरांव 11- जसरा
26-	एटा	1- जलेसर	2- सिढ़पुरा	3- सोरों
27-	फर्रुखाबाद	1- मनौज	2- उमरदा	3- कायमगंज
28-	इटावा	1- महेवा	2- बसरेहर 3- भाग्यनगर 4- अजीतमल 5- औरैया	6- जसवन्तनगर
29-	कानपुर देहात	1- बिल्हौर	2- घाटमपुर	3- पतारा
30-	फतेहपुर	1- बहुवा	2- हुसेनगंज 3- विजयपुर	4- धाता
31-	ललितपुर	1- मडावरा	2- बिरधा	3- जखौरा
32-	झांसी	1- मऊरानीपुर	2- गुरसराय	3- बंगरा
33-	जालौन	1- कोंच	2- कदौरा 3- नदीगांव 4- डकोर	5- जालौन

क्रम सं0	जनपद का नाम	वर्षवार चयनित विकास खण्डों के नाम		
		1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
34-	हमीरपुर	1- पनवाड़ी	2- कुरारा 3- मौदहा 4- चरखारी	5- राठ
35-	बाँदा	1- मानिकपुर	2- बिसन्डा 3- महुआ	4- नरैनी 5- बबेरू
36-	लखनऊ	1- माल 2- गोसाईगंज 3- मोहनलालगंज 4- मलीहाबाद 5- सरोजनी नगर	6- बख्शी का तालाब 7- काकोरी	8- चिनहट
37-	उन्नाव	1- औरास 2- हसनगंज 3- मियागंज	4- असोहा 5- बिछिया 6- सिकन्दरपुर करन 7- सिकन्दरपुर सरोसी 8- नवाबगंज	9- हिलौली 10- बीघापुर 11- सफीपुर 12- फतेहपुर चौरासी 13- बांगरमऊ
38-	रायबरेली	1- बछरावाँ	2- डीह 3- हरचन्दपुर 4- महराजगंज 5- सिंहपुर 6- राही	7- डलमऊ 8- नसीराबाद 9- सलोन 10- सरेनी 11- सताँव 12- ऊँचाहार 13- तिलोई
39-	सीतापुर	1- मिसरिख 2- कसमण्डा 3- गोंदलामऊ 4- मछरेहटा 5	5- बिसवाँ 6- हरगाँव 7- परसेंडी 8- पहला 9- सिधौली	10- पिसावाँ 11- महोली 12- एलिया 13- लहरपुर 14- खैराबाद 15- बेहटा 16- रेउसा 17- सकरन
40-	हरदोई	1- अहरोली 2- सुरसा 3- टोडियावाँ 4- हरियावाँ 5- बेहन्दर 6- बावन 7- कछौना 8- कोथावाँ	9- पिहानी 10- टोडरपुर	11- सण्डीला 12- भरावन 13- बिलग्राम 14- शाहाबाद

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्षवार चयनित विकास खण्डों के नाम 1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
41-	खीरी	1- बाकेगंज	2- बिजुआ 3- लखीमपुर 4- मोहम्मदी 5- मितौली 6- पसगंवा	7- बेहजम 8- कुम्भी (गोला) 9- निघासन
42-	गोण्डा	1- छिपिया	2- बलरामपुर	3- हरैया सतघरवा
43-	फैजाबाद	1- टाण्डा	2- अकबरपुर 3- जलालपुर 4- सोहावल 5- रामनगर	6- मसोधा 7- अमानीगंज 8- मिल्कीपुर 9- बसखारी
44-	बहराइच	1- गिलावाला	2- चितौरा	3- प्रयागपुर
45-	सुल्तानपुर	1- जामो	2- जगदीशपुर 3- कादीपुर	4- अखण्डनगर
46-	प्रतापगढ़	1- बाबागंज	2- बिहार (बाघा राय) 3- रामपुर खास	4- कुण्डा
47-	बाराबंकी	1- सिद्धौर	2- बनीकोडर 3- दरियाबाद 4- हैदरगढ़ 5- त्रिवेदीगंज 6- निंदूरा	7- फतेहपुर 8- देवा 9- रुदौली 10- पूरेडलई
48-	गोरखपुर	1- बेलघाट	2- मगहर 3- उरुवा	4- चरगांवा 5- बांसगांव 6- सजनी
49-	देवरिया	1- खड्डा	2- पडरौना	3- दुदाई
50-	बस्ती	1- हैंसर	2- खलीलाबाद 3- नाथनगर	4- बस्ती सदर
51-	वाराणसी	1- नौगढ़	2- भदोही 3- सकलडीहा	4- औराई
52-	आजमगढ़	1- लालगंज	2- बिलरियागंज 3- मेहनगर 4- रानीपुर 5- तरवा 6- टेकमा	7- अजमतगढ़ 8- फतेहपुर मंडाव 9- सठियांव 10- मोहम्मदाबाद

क्रम सं0	जनपद का नाम	वर्षवार चयनित विकास खण्डों के नाम		
		1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
53-	1- जौनपुर	1- केराकत	2- शाहगंज	3- मछली शहर
54-	मिर्जापुर	1- लालगंज 2- हलिया 3- मडिहान 4- धौरावल 5- नगवा 6- चोपन 7- म्योरपुर 8- दुद्धी 9- बैनी	10- राजगढ़	11- राबर्ट्सगंज
55-	गाजीपुर	1- मरहद	2- सैदपुर	3- सादात
56-	बलिया	1- रसड़ा	2- नगरा	3- सीयर

चयनित विकासखण्डों का वार्षिक विभाजन

1980-81	82
1981-82	106
1982-83	106
	294

10 - उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ

शासनादेश संख्या 6744/26-77-17(21)74, दिनांक: अगस्त 29, 1977 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिये निर्दिष्ट अनुसूचित जातियाँ निम्न हैं :-

1- अगरिया	23- बोरिया	45- खैराहा
2- बधिक	24- चमार, धूसिया, झूसिया, जाटव	46- खरवार (बनवासी को छोड़कर)
3- बादी	25- चेरो	47- खटीक
4- बहेलिया	26- दबगर	48- खोरोट
5- बैगा	27- धनगर	49- कोल
6- बैसवार	28- धानुक	50- कोरी
7- बजनिया	29- धारकार	51- कोरवा
8- बाजगी	30- धोबी	52- लालबेगी
9- बलहार	31- डोम	53- मझवार
10- बलाई	32- डोमर	54- मजहबी
11- बाल्मीकि	33- दुसाध	55- मुसहर
12- बंगाली	34- घरामी	56- नट (हिन्दू नट-जाति)
13- बनमानुष	35- घसिया	57- पंखा
14- बांसफोड़	36- गोंड	58- परहिया
15- बरवार	37- ग्वाल	59- पासी, तरमाली
16- बसोड़	38- हबूड़ा	60- पातरी
17- बावरिया	39- हरी	61- रावत
18- बेलदार	40- हेला	62- सहारया
19- बेरिया	41- कलाबाज	62- सनौढिया
20- भंतू	42- कंजर	64- सांसिया
21- भुईया	43- कपड़िया	65- शिल्पकार
22- भुइयार	44- करवल	66- तुरैहा

11 - उत्तर प्रदेश में विमुक्त जातियाँ

विमुक्त जातियों के उन समुदायों की सूची जो घूमते फिरते रहते हैं निम्न हैं :-

क्रम सं0	विमुक्त जातियों की सूची जो घूमते फिरते रहते हैं	जिलों के नाम
(1)	(2)	(3)
1-	बंदक	आगरा, बदायूँ, एटा, मैनपुरी ।
2-	खुरपलटा	आगरा, मथुरा ।
3-	मूंगिया [illegible]	आगरा, झांसी ।
4-	कंजर या कुचबन्धिया	अलीगढ़, बहराइच, बलिया, बांदा, वाराणसी, बिजनौर, कानपुर, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, खीरी, मथुरा, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, उन्नाव ।
5-	सिंगीवाला	अलीगढ़, बदायूँ, नैनीताल, सहारनपुर, मथुरा, बरेली, इलाहाबाद ।
6-	औघड़	इलाहाबाद ।
7-	बेरिया	इलाहाबाद, बांदा, वाराणसी, इटावा, हमीरपुर, झांसी, उन्नाव ।
8-	बैद	इलाहाबाद ।
9-	भाट	इलाहाबाद, वाराणसी, हमीरपुर, हरदोई, मिर्जापुर, फतेहपुर, इटावा, मथुरा ।
10-	चमरमंगता	इलाहाबाद, फतेहपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, हरदोई ।
11-	जोगी	इलाहाबाद, शाहजहाँपुर ।
12-	कपरिया	इलाहाबाद, फतेहपुर, लखनऊ ।
13-	महावत तथा लुंगीपठान	इलाहाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, उन्नाव, बहराइच, हरदोई, बरेली ।
14-	कलन्दर फकीर	आजमगढ़, बलिया, बरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद ।
15-	नट अथवा करनाटक	बहराइच, बलिया, बांदा, वाराणसी, बदायूँ, बिजनौर, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झांसी, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, मथुरा, नैनीताल, पीलीभीत, रायबरेली, उन्नाव ।
16-	करबल	बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर ।
17-	बावरिया	बांदा, मेरठ, मथुरा, मैनपुरी ।
18-	पासी	बाराबंकी ।
19-	हबूड़ा	बरेली, एटा, मुरादाबाद ।
20-	डोम	बस्ती, वाराणसी, फैजाबाद, गोरखपुर, जौनपुर ।
21-	खटिक	बस्ती ।
22-	बहेलिया	इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हरदोई, झांसी, मथुरा, शाहजहाँपुर ।
23-	बंजारा	एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, मथुरा, पीलीभीत, रायबरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, उन्नाव ।

क्रम	घुमक्कड़ जातियों की सूची जो घूमते फिरते रहते हैं	जिलों के नाम
(1)	(2)	(3)
24-	गोदनहार	गोण्डा, सुल्तानपुर ।
25-	बरबार	मथुरा ।
26-	बर्गी	मथुरा ।
27-	सपेरा	मथुरा, सहारनपुर, इलाहाबाद ।
28-	सिकलीग	मथुरा ।
29-	बैलदार	सहारनपुर, इटावा ।
30-	मदारी	सहारनपुर, सुल्तानपुर, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद ।
31-	कंकाली	सुल्तानपुर ।
32-	बृजवासी	उन्नाव ।
33-	जोगी	बदायूँ ।
34-	किंगिरिया	इलाहाबाद ।
35-	अटरी	इलाहाबाद ।
36-	कुरमंगिया (हिन्दू महाकाल)	कानपुर, हरदोई ।
37-	करमैलिया	इटावा ।
38-	गोसाईं	फर्रुखाबाद, झांसी ।
39-	लोना चमार	जालौन ।

विमुक्त जातियों के उन समुदायों की सूची जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहते हैं निम्न हैं :-

क्रम सं0	विमुक्त जातियों की सूची जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहते हैं।	जिलों के नाम
(1)	(2)	(3)
1-	अहेरिया (बहेलिया)	फर्रुखाबाद, आगरा, बदायूँ, मैनपुरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलन्दशहर, एटा, मथुरा ।
2-	बदक	बदायूँ, खीरी, मथुरा, शाहजहाँपुर ।
3-	बंजारा	एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, (फतेहगढ़), मैनपुरी, आगरा, हरदोई, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव ।
4-	बरवार	गोण्डा, हरदोई, सुल्तानपुर, रायबरेली ।
5-	बावरिया	मुजफ्फरनगर, आगरा, मेरठ ।
6-	बेड़िया	आगरा, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, फतेहपुर ।
7-	भड़	पूरे प्रदेश में ।
8-	बोरिया	कानपुर, फतेहपुर ।
9-	चमार	इटावा, गाजीपुर, जौनपुर ।
10-	टक्का कहार	बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर ।
11-	डोम	पूरे उत्तर प्रदेश में ।
12-	गड़ील	मुजफ्फरनगर ।
13-	घासी (हिन्दू)	अलीगढ़, एटा, मैनपुरी ।
14-	गूजर	मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर ।
15-	हबड़ा	पूरे उत्तर प्रदेश में ।
16-	कंजर	आगरा, कानपुर, इटावा, फतेहपुर, मैनपुरी, मथुरा, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद) ।
17-	केवट	बस्ती ।
18-	खटिक	बस्ती, गोण्डा ।
19-	लोध	मैनपुरी, फतेहपुर ।
20-	मल्लाह	आगरा, अलीगढ़, बलिया, बुलन्दशहर, इटावा, मैनपुरी, मिर्जापुर, गोरखपुर, मथुरा ।
21-	मेवाती	बुलन्दशहर, अलीगढ़, बलिया ।
22-	मसहर (बनमानुष भी होते हैं)	गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, बलिया, वाराणसी ।
23-	नट	इलाहाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, झांसी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल ।
24-	पलवर दुसाध	बलिया ।
25-	पासी	पूरे उत्तर प्रदेश में ।
26-	सांसिया	झांसी, बुलन्दशहर, देहरादून, खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ।
27-	तगाभाट	सहारनपुर ।
28-	ओझिया	कानपुर, फतेहपुर ।
29-	भाट	पूरे उत्तर प्रदेश में ।
30-	गिदिया	मुरादाबाद ।
31-	करवल	खीरी, वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, मुरादाबाद, कानपुर ।

12 — उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जातिवार, जिलेवार एवं विकास खण्डवार जनसंख्या,

क्र0 सं0	जनजाति का नाम	जिला	क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	प्रत्येक विकास खण्ड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	जिला योग
1	2	3	4	5	6	7
1— भोटिया		अल्मोड़ा	1—	धमकोट	1250	
			2—	गरुड़बंजनाथ	40	
			3—	बागेश्वर	162	1452
		चमोली	4—	जोशीमठ	8904	
			5—	कर्णप्रयाग	34	
			6—	नारायणबगड़	38	
			7—	गैरसैंण	50	
			8—	कर्णप्रयाग	56	9082
		पिथौरागढ़	9—	धारचूला	9674	
			10—	डीडीहाट	447	
			11—	बेरीनाग	457	
			12—	मुनस्यारी	11522	
			13—	पिथौरागढ़	4	22104
		उत्तरकाशी	14—	डूंडा		
			15—	मरवाड़ी	815	815
					भोटिया जनजाति की कुल जनसंख्या	33453
2— बुक्सा		बिजनौर	16—	कोतवाली		
			17—	अफजलगढ़	2073	2073
		देहरादून	18—	डोईवाला	1679	
			19—	साहसपुर	3835	5514
		नैनीताल	20—	काशीपुर	123	
			21—	बाजपुर	10117	
			22—	रामनगर	806	11046
		पौड़ी गढ़वाल	23—	दुगड्डा	781	781
					बुक्सा जनजाति की कुल जनसंख्या	19414

क्र0 सं0	जनजाति का नाम	जिला	क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	प्रत्येक विकास खण्ड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	जिला योग
1	2	3	4	5	6	7
3-	जौनसारी	देहरादून	24-	कालसी	31908	
			25-	चकराता	44942	76850
				जौनसारी जनजाति की कुल जनसंख्या		76850
4-	राजी	पिथौरागढ़	26-	धारचूला	115	
			27-	डीडीहाट	60	
			28-	कनालीछिना	79	254
				राजी जनजाति की कुल जनसंख्या -		254
5-	थारू	बहराइच	29-	मिहिंपुरवा	2127	
			30-	सिरसिया	1452	3579
		गोण्डा	31-	पचपेड़वा	9133	
			32-	गसड़ी	1513	10646
		गोरखपुर	33-	फरेन्दा	31	
			34-	नौतनवा	1150	1181
		लखीमपुर खीरी	35-	निवासन	1170	
			36-	पलिया	216	
			37-	वन क्षेत्र	10190	11576
		नैनीताल	38-	खटीमा	38132	38132
				थारू जनजाति की कुल जनसंख्या		65114
				उत्तर प्रदेश में जनजातियों की कुल जनसंख्या		1,95,085

15 -- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

वर्ष 1981-82 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना को छठी पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में कार्यान्वित किया जाना है । इस योजना पर व्यय भारत सरकारतथा राज्य सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत के आधार पर वहन किया जायेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि जो आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को किया जायेगा उतनी ही मात्रा में योगदान राज्य सरकार को भी करना होगा । दूसरा बिन्दु यह है कि भारत सरकार ने सामग्री अंश तथा श्रम अंश का अलग-अलग आवंटन नहीं किया है, अपितु पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराते हुये उपभोग में मजदूरी तथा श्रम का अनुपात निर्धारित कर दिया है । निर्धारित अनुपात के अनुसार किसी भी योजना में 60 प्रतिशत व्यय मजदूरी भुगतान हेतु किया जायेगा तथा 40 प्रतिशत सामग्री के क्रय हेतु योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार अवसर सृजित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ व्यवस्था सुविकसित करने हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण है ।

जिन विभागों को 81-82 में इस योजनान्तर्गत धन आवंटित किया गया था उनमें शिक्षा विभाग भी है । शिक्षा विभाग के लिए स्कूल भवनों का निर्माण एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार द्वारा दी गई "गाइड लाइन्स" के अन्तर्गत आती है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना कार्यक्रम के निष्पादन से सम्बन्धित समस्त व्यय हेतु पूरी धन व्यवस्था, भारत सरकार के अंश तथा राज्य सरकार के अंश के बराबर ग्राम्य विकास विभाग में शीर्षक "314-सामुदायिक-विकास-आयोजनागत-ग-ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम-अन्य व्यय-राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्य-क्रम" के अन्तर्गत की गई है । ग्राम्य विकास विभाग उक्त प्राविधान में से आवश्यक धनराशि का निष्पादन सम्बन्धित विभागों को करता है तथा उन्हें उपयुक्त प्राविधान के अनुसार व्यय करने के लिये प्राधिकृत भी करता है । प्रशासनिक विभाग आवंटित धन-राशि की सीमा तक नियमानुसार व्यय करता है तथा उसे उपरिलिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत करता है । इस प्रकार सम्बन्धित विभाग राज्य सरकार के अंश को विभाग के आवंटित परिव्यय में समायोजित करता है ।

81-82 से विकेन्द्रीयकृत योजना का आरम्भ किया गया है और कुछ योजनाओं को अन्तिम रूप जिला स्तर पर दिया जाता है ताकि जिला इकाई के स्तर पर योजना को एकीकृत किया जा सके । नियोजन विभाग ने जिला सेक्टर की योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत मार्ग निर्देशिका पूर्व मे जारी की है । राज्य व जिला स्तर योजनाओं के वर्गीकरण में एन०आर०ई०पी० को जिला सेक्टर योजना का एक अंग माना गया है ।

81-82 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषदीय प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माणार्थ शासन से रु0 6,69,38,100 की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके अन्तर्गत 50% आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई है और शेष 50% की धनराशि की पूर्ति हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत रु0- 3,34,69,050/- की धनराशि को राज्य अंश के रूप में प्रयुक्त किया गया है । इस प्रकार लेखा शीर्षक "314-सामुदायिक विकास-आयोजनागत-ग-ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम-अन्य व्यय(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारकार्यक्रम " के अन्तर्गत एक मुश्त रु0 - 6,69,38,100/- का प्राविधान किया गया ।

राज्य अंश के लिए जिन योजनाओं को लिया गया वे निम्नवत् हैं :

1- योजना सं0-60101015	ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक विद्यालय खोलने हेतु अनुदान	रु0 1368050/-
2- योजना सं0-60101022	ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन बालक एवं बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान	रु0 14889500/-
3- योजना सं0-60101012	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों के सीनियर बेसिक स्कूल भवनों के निर्माण हेतु अनुदान	रु0 4898500/-
	योग:	रु0 33469050/-

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की शर्तों के अनुसार मजदूरी और भवन सामग्री पर 60:40 के अनुपात में व्यय करने की दृष्टि से निम्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 81-82 में स्वीकृत धनराशियों से होने वाले निर्माण कार्यों में मजदूरी के व्यय को भी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है :

1- योजना सं0-60101006	ग्रामीण क्षेत्रों में भूक्त रहित जू0ब0 स्कूलों के भवनों के निर्माणार्थ अनुदान	रु0 7582000/-	167 भवनों के लिये ।

2- योजना सं0-60101017 नगर क्षेत्रों में मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने हेतु अनुदान रु0 3540500/- 36 भवनों के लिए

यह सत्य है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों में भी अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों को निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी ।

इस वर्ष 82-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग को केन्द्रीय और राज्य अंश मिलाकर 1 करोड़ रुपये (50-50 लाख) का संशोधित परिव्यय प्राप्त हुआ है जिसको भवन हीन जूनियर बेसिक विद्यालयों के भवन-निर्माणार्थ प्रस्तावित किया गया है । शासनादेश प्रतीक्षित है ।

वर्ष 83-84 में भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्कूल भवनों के निर्माण हेतु राज्य अंश का प्रावधान कराया जाना उपयुक्त होगा ।

14 - राज्य योजना आयोग नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/को सम्बोधित एवं समस्त विकास विभागों के सचिव/विशेष सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, समस्त मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास/ जिला विकास अधिकारी तथा समस्त जिला अर्थ अधिकारियों को "जिला योजना संरचना वर्ष 83-84" विषय पर पृष्ठांकित अ0शा0प0 सं0 -3/125/35-रा0यो0आ0-2/82-472 दिनांक: अगस्त 17, 1982 की प्रतिलिपि

डा0 जे0पी0 सिंह,
सचिव ।

अ0शा0प0सं0-3/125/35-रा0यो0आ0-2/82-472

उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य योजना आयोग-2
(नियोजन विभाग)

लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 1982

जिला योजना संरचना वर्ष 83-84

प्रिय महोदय,

विकेन्द्रित योजना के अधीन वर्ष 83-84 की जिला योजना की संरचना के क्रम में मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गयी है कि पूर्व वर्ष की ही भाँति वर्ष 83-84 की जिला योजना की संरचना की जायेगी ।

2- विकेन्द्रित नियोजन की इकाई जनपद होगी तथा प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा ही योजना की संरचना का प्रस्ताव किया जायेगा और उक्त समिति ही कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगी । इस समिति का गठन और उसके कर्तव्य राजाज्ञा सं0 -3/8-35(रा0यो0आ0-2)-82-11 दिनांक 25 मार्च, 1982 द्वारा आपको सूचित किये जा चुके हैं ।

3- समस्त विकास विभागों की योजनाओं को दो भागों में विभक्त कियागया है । पहला राज्य सेक्टर तथा दूसरा जिला सेक्टर । राज्य सेक्टर में तथा जिला सेक्टर में शामिल की गयी योजनाओं की सूचना आपको नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित जिला योजना संरचना के हेतु मार्गनिर्देशिका खण्ड-2 के अधीन पुनः सूचित किया जा रहा है ।

4- राज्य सेक्टर की योजना की संरचना का कार्य वर्तमान प्रणाली के अनुसार मुख्यालय में ही सम्बन्धित विभागों/संगठनों द्वारा सम्पन्न किया जायेगा । परन्तु जिला सेक्टर की योजनाओं की संरचना का कार्य जनपदों की समितियों द्वारा किया जायेगा ।

5- इस वर्ष भी वार्षिक आयोजनागत परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत भाग राज्य सेक्टर की योजनाओं के लिये और 30 प्रतिशत जिला सेक्टर की योजनाओं के लिए सुरक्षित किया जायेगा ।

6- जिला सेक्टर के परिव्यय का आवंटन जनपदों में पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर ही किया जायेगा । वार्षिक योजना का प्रारूप नियोजन विभाग द्वारा पूर्व प्रसारित जिला योजनाओं की संरचना हेतु सामान्य मार्ग निर्देशिका के आधार पर जनपद की समिति तैयार करेगी और इस पत्र के साथ संलग्न वर्ष 83-84 की वार्षिक योजना की संरचना की समय सारिणी के अनुसार निर्धारित तिथि तक एक प्रति मंडलायुक्त को तथा पाच प्रतियों में नियोजन विभाग को प्रेषित करेगी ।

7- प्रत्येक जिलाधिकारी जिला योजनाओं में प्रस्तावित विभागीय योजनाओं की एक प्रति सम्बन्धित विकास विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायेंगे ।

8- शासन स्तर पर प्राप्त जिला योजनाओं का नियोजन विभाग में सभी प्रासंगिक दृष्टिकोणों, और पूर्वताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा तथा साधनों की सीमायें, राज्य की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत यदि किसी जिला योजना में कोई संशोधन/परिवर्तन करना अपरिहार्य होगा तो उसका समावेश करते हुए जिला योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

9- नियोजन विभाग इस प्रकार जिला योजनाओं और राज्य सेक्टर की योजनाओं को आधार मानते हुये प्रदेश की योजना का प्रारूप तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

10- शासन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के संचालन में जिलाधिकारी एवं जिला स्तर अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी है । इस प्रसंग में निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है-

(i) वार्षिक योजना वर्ष 83-84 की संरचना की अन्तिम समय-सारिणी इस पत्र के परिशिष्ट में दी गयी है उसके अनुसार जिला योजनाओं के प्रारूप की रचना का समय 15 अगस्त से । अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है । । अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जनपद योजनाओं को जनपद/मंडल/स्तर पर शासन के मंत्रि मंडल के सदस्यों/मंडल/शासन स्तरीय

अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत किया जायेगा और तदुपरान्त जिला योजना शासन को, विभागाध्यक्षों को तथा विभागीय सचिवों को 25 अक्टूबर, 1982 तक प्रेषित किया जायेगा ।

(2) विभिन्न विभागाध्यक्षों के जिला/मंडल स्तरीय अधिकारी प्रत्येक जिले में सम्पन्न किये जाने वाले राज्य सेक्टर की योजनाओं का भी प्रारूप जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का पहल करेंगे । विभागाध्यक्ष अगस्त मास की 31 तारीख तक अलग से अपनी विभागीय निर्देशिकायें जिलों को उपलब्ध करायेंगे परन्तु उनके अभाव में जिला योजना संरचना का कार्य रोका नजायेगा।

(3) पूर्व की भांति चालू योजनाओं तथा नयी योजनाओं के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशिकाओं में उल्लिखित निर्देश लागू रहेंगे ।

(4) चालू योजनाओं में वरिष्ठ प्राथमिकता न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को दी जायेगी ।

1- वार्षिक योजना का आकार राज्य सरकार के विचाराधीन है तथापि यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले की वार्षिक योजना का न्यूनतम आकार वर्ष 82-83 के लिये स्वीकृत परिव्यय से 5 प्रतिशत अधिक होगा अर्थात् जिस जिले को 5 करोड़ रु0 पिछले वर्ष आवंटित किया गया था उसे वर्ष 83-84 के हेतु 5·25 करोड़ रु0 आवंटित किया जायेगा और जिला योजना वर्ष 83-84 की संरचना का आधार पूर्व वर्ष में आवंटित धनराशि तथा उसमें 5 प्रतिशत का योग करके ही किया जायेगा । इस आधार पर आपके जिले को वर्ष 83-84 के लिये _____ करोड़ रु0 की धनराशि आवंटित की जा रही है । उक्त आवंटन के अधीन ही जिला योजना वर्ष 83-84 की प्रस्तावना की जाय ।

2- इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि प्रस्तावित योजनाओं में ऐसे ऋण या ऐसे निवेश या ऐसे अनुदान की प्रस्तावना न की जाय जो राज्य स्तरीय अवस्थित स्वीकृतियों से भिन्न हों ।

3- उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन का दायित्व मुख्यत: जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी का होगा । यह बात पुन: दोहराई जाती है कि शासन विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया को विशेष महत्व देता है और मुझे विश्वास है कि सभी जिलाधिकारी इस कार्य को समुचित महत्व देंगे एवं इस प्रक्रिया को सफल बनाने का प्रयास करेंगे ।

भवदीय,

ह0/ डा0 जे0पी0 सिंह

परिशिष्ट

वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजना की समय-सारिणी

कार्य	तिथि
1- 1983-84 की जिला योजनाओं के लिये अनन्तिम परिव्यय का जिलेवार निर्धारण	15 अगस्त, 1982
2- 1983-84 की जिला योजना के लिये अनन्तिम परिव्यय का जिलों को प्रेषण	22 अगस्त, 1982
3- जनपदों की योजनाओं के प्रारूप की रचना	15 अगस्त से 1 अक्टूबर, 82
4- शासन के सदस्यों/विभागीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारियों/मंत्रि परिषद के सदस्यों द्वारा जनपद योजनाओं का पुनरीक्षण/अनुमोदन	1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 82
5- जिला योजनाओं का राज्य सरकार, तथा विभागाध्यक्षों/विभागीय सचिवों को प्रेषण	20 अक्टूबर, 1982
6- जनपद योजनाओं का राज्य स्तर पर परीक्षण (नियोजन विभाग द्वारा)	20 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 82
7- राज्य सेक्टर तथा जनपद योजना का अन्तिम प्रारूप तैयार करना (नियोजन विभाग द्वारा विभागाध्यक्षों के सहयोग से)	20 नवम्बर, 82
8- प्रदेश की योजना पर राज्य योजना आयोग/मंत्रि परिषद् द्वारा विचार एवं अनुमोदन	25 नवम्बर, 1982
9- केन्द्रीय योजना आयोग से योजना के प्रारूप पर विचार - विमर्श तथा आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा जनपदों की योजनाओं में संशोधन ।	15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 82

संख्या 3363/15(5)-82-225/82

प्रेषक,
श्री वसन्त वल्लभ पाण्डे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

शिक्षा (5) अनुभाग, दिनांक, लखनऊ : 27 अगस्त, 1982

विषय : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के भवनों के प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 3741/15(5)-81-410/75, दिनांक 4 मई, 1981 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण के प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी । तब से भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में और मजदूरी की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं प्रमुख अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 4 मई, 1981 में स्वीकृत अनुमानित लागत के आधार पर भवनों का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है । उक्त मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता ने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित अनुमानित लागत के आधार पर संशोधित प्राक्कलन शासन को स्वीकृति हेतु भेजें हैं जिसके अनुसार आर०वी०स्लेब की पद्धति से भवन निर्माण की पुनरीक्षित लागत और प्रस्तावित निर्माण कार्य की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार बताई गई हैं :-

1- भवन की नींव 2' फिट गहरी होगी,
2- भवन की ऊँचाई 11' फिट होगी,
3- प्रत्येक कमरे में एक आलमारी पल्लों सहित होगी,
4- रोशनदान में सीमेंट जाली के स्थान पर लकड़ी के पल्ले लगाये जायेंगे, और
5- प्राक्कलन में भवन निर्माण हेतु पानी की व्यवस्था के लिये हैन्डपम्प लगाये जाने की लागत भी सम्मिलित है ।

2. इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलनों के परीक्षणोपरान्त राज्यपाल महोदय इन आदेशों के निर्गम के दिनांक से प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के निर्माण की निम्नलिखित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

क्षेत्र का विवरण	सामान्य योजना के अंतर्गत निर्माण की लागत ।	एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत निर्माण की लागत
प्राइमरी स्कूल		
निर्माण कार्य का विवरण		
(20'×16' के दो कमरे और उसके सामने 10'×40' का बरामदा)		
1- सामान्य मैदानी क्षेत्र	66,700	63,365
2- बुन्देलखण्ड की काली मिट्टी के क्षेत्र	83,375	79,235
3- साल्ट पीटर की मिट्टी के क्षेत्र	80,000	76,015
जूनियर हाई स्कूल		
(20'×16' के चार कमरे, उनके सामने 10' चौड़ा बरामदा तथा 10'×10' का छोटा कमरा तथा भवन से अलग पृथक स्थान शौचालय)		
1- सामान्य मैदानी क्षेत्र	1,25,350	1,19,140
2- बुन्देलखण्ड की काली मिट्टी के क्षेत्र	1,56,975	1,49,155
3- साल्ट पीटर की मिट्टी के क्षेत्र	1,50,420	1,42,945

विद्यालयों के भवनों का निर्माण आर०बी० स्लैब की पद्धति पर कराया जायेगा किन्तु बुन्देलखण्ड अथवा जहाँ प्रथम श्रेणी की ईंट उपलब्ध न होगा वहाँ आर०सी०सी० की छत डाली जायेगी और उपरोक्त लागत के अंतर्गत ही कार्य किया जायेगा । शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि भवनों के निर्माण हेतु पानी की व्यवस्था के लिये जो हैंड पम्प लगाये जायेंगे वह भवन निर्माण के पश्चात् भवन के साथ साथ शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसका उपयोग बच्चों को पेयजल व्यवस्था के लिये किया जायेगा । आप भविष्य में उपरोक्त के आधार पर ही भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन के स्वीकृत्यर्थ भेजें ।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय पत्र संख्या ई-11-1994/दस-82, दिनांक 18 अगस्त, 1982 में प्राप्त स्वीकृति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
ह०/-
(सन्त बल्लभ पाण्डे)
उप सचिव ।

NIEPA DC
D00612

Sub. National Systems Unit,
N... ...ional
... 110016
D-612
19/1/83